झारखण्ड पुलिस अकादमी
हजारीबाग

नवीन दण्ड विधि संग्रह, 2023

1 जुलाई, 2024 से लागू

संक्षिप्त सार संग्रह:

- धारा
- उप-धारा
- दण्ड
- न्यायालय सहित

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

नई एवं पुरानी विधि तथा उनकी धाराओं का संक्षिप्त विवरणी

*** प्रक्षिशण संबंधी कार्य हेतु उपयोगी। विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित मूल विधि पुस्तक का अवलोकन करें।***

In Guidance of
Shailendra Kumar Sinha (IPS)
Director
Jharkhand Police Academy,
Hazaribag

Compiled By
Roshan Guria (ASP),
Ritesh Verma (Librarian),
Anil Kumar (Computer Instructor),
Jharkhand Police Academy,
Hazaribag

शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, भा०पु०से०
निदेशक,
झारखण्ड पुलिस अकादमी
हजारीबाग–825301,(झारखण्ड)

कार्यालय : 06546–270084
फैक्स : 06546–270048
मौबाईल : 9470922222 / 9006941519

Shailendra Kumar Sinha, I.P.S
DIRECTOR,
Jharkhand Police Academy
Hazaribag-825301,(Jharkhand)
Email : director-jpa@jhpolice.gov.in
Office : 06546–270084
Fax : 06546–270048
Mobile : 9470922222 / 9006941519

संदेश

भारत सरकार द्वारा पूर्व से लागू I.P.C, Cr.PC, Evid. Act. को परिवर्तित करते हुये तीन नये कानून– भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 लाया गया, जो 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। जिसकी जानकारी पुलिस विभाग के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कर्मी को अति आवश्यक है। इसके लिए झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग द्वारा ''नवीन दण्ड विधि संग्रह 2023'' के रूप में एक 'हैण्डबुक' तैयार किया गया है, जिसमें पुराने एवं नए धाराओं / उपधाराओं / न्यायालय द्वारा दिये जाने वाले दण्ड़ आदि को समावेशित करते हुए संक्षिप्त रूप में तुलनात्मक जानकारी संकलित की गयी है। विश्वास है कि यह हैण्डबुक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगा।

मैं श्रीमती सुमन गुप्ता, भा०पु०से०, अपर पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण), झारखण्ड, राँची एवं श्री राजकुमार लकड़ा, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची का भी आभारी हूँ जिनसे प्राप्त दिशानिर्देश के आलोक में इस प्रशिक्षण संबंधित हैण्डबुक को तैयार किया गया है।

मैं श्री रोशन गुड़िया, उप–निदेशक (अपर पुलिस अधीक्षक), श्री रितेश वर्मा, लाइब्रेरियन एवं श्री अनिल कुमार, कम्प्यूटर अनुदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ , जिन्होंने इस प्रशिक्षण संबंधित हैण्डबुक को तैयार करने मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए ये बधाई के पात्र है।

(शैलेन्द्र कुमार सिन्हा)
निदेशक,
झारखण्ड पुलिस अकादमी
हजारीबाग–825301,(झारखण्ड)

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विधेयक, 2023

पृष्ठभूमि और समयरेखा ।

11 अगस्त 2023 : BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 विधेयक को गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पेश किया ।
12 दिसंबर 2023 : BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 विधेयक वापस ले लिया गया ।
12 दिसंबर 2023 : BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 विधेयक लोकसभा में पुनः पेश किया गया ।
20 दिसंबर 2023 : BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 विधेयक लोकसभा में पारित किया गया ।
21 दिसंबर 2023 : BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया ।
25 दिसंबर 2023 : BNS 2023, BNSS 2023, BSA 2023 विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई ।
23 फरवरी 2024 : को 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने से संबंधित अधिसूचना जारी ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINATY

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd February, 2024

S.O.848(E).-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1st day of July. 2024 as the date on which the provisions of the said Sanhita, except the provisions of the entry relating to section 106(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, in the First Schedule, shall come into force.

[F. No. 1/3/2023-Judicial Cell-I]
SHRI PRAKASH, Jt. Secy.

Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 replaces CrPC, 1973 now has 531 sections, 160 sections of old law have been changed, 10 new sections have been added and 11 sections have been repealed.

भारतीय न्याय संहिता, 2023

The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

In Guidance of

Shailendra Kumar Sinha (IPS)

Director

Jharkhand Police Academy, Hazaribag

Compiled By

Roshan Guria (ASP), JPA

Ritesh Verma (Librarian), JPA

Anil Kumar (Computer Instructor), JPA

भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.), 2023 में कुछ जोडी गयी महत्त्वपुर्ण धाराएँ/उप-धाराएँ

क्र०सं०	धारा / उप–धारा	
1	2(3)	बालक 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।
2	4(च)	समुदायिक सेवा।
3	48	भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण।
4	69	प्रवंचनापूर्ण साधानों (Deceitful Means) आदि का प्रयोग करके मैथुन।
5	95	अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना।
6	103(2)	हत्या के लिए दंड – पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर यह अपराध कारित करता हो।
7	106(2)	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – जो कोई, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो अपराधिक मानव वध की कोटि में नही आता है।
8	111	संगठित अपराध (Organized Crime)
9	112	छोटे संगठित अपराध (Petty Organized Crime)
10	113	आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act)
11	117(3)/(4)	स्वैच्छया घोर उपहति कारित करना (Voluntarily Causing Grievous Hurt)
12	152	भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य।
13	195(2)	लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना ।
14	197 (1)घ	राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान – भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली मिथ्या या भ्रामक जनकारी देता है या प्रकाशित करता है।
15	304	झपटमारी (Snatching) |
16	324(3)	रिष्टि (Mischief)
17	341(3)/(4)	धारा 338 के अधीन दण्डनीय कुटरचना करने के आशय से कुटकृत मुद्रा (Counterfeit Seal), आदि का बनाना या कब्जे में रखना।
18	358	निरसन और व्यावृति (Repeal and savings)

भारतीय न्याय संहिता (B.N.S.), 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) 1860 की धाराएँ/उप-धाराएँ

क्र०सं०	धारा / उप–धारा	
1	13	क्वीन की परिभाषा।
2	14	सरकार का सेवक।
3	15	ब्रिटिश इण्डिया की परिभाषा।
4	16	गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की परिभाषा।
5	18	भारत से जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय भारत के राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।
6	50	धारा ।
7	53 (क)	निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना।
8	56	1949 के अधिनियम सं० 17 द्वारा निरस्त।
9	58	1955 के अधिनियम सं० 26 द्वारा लुप्त की गयी।
10	59	1955 के अधिनियम सं० 26 द्वारा लुप्त की गयी।
11	61	1921 के अधिनियम सं० 16 की धारा द्वारा निरस्त।
12	62	1955 के अधिनियम सं० 26 द्वारा लुप्त की गयी।
13	124 (क)	राजद्रोह।
14	138 (क)	–––
15	153क(क)	धर्म, मूलवंश, जन्म–स्थान, निवास–स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का समप्रवर्तन और सौहार्द्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना।
16	161–165क	–––
17	216ख	धारा 212, 216 तथा 216क मे संश्रय की परिभाषा– आई०पी०सी० संशोधन अधि० 1942 का 08 की धारा 03 द्वारा निरसित।
18	226	1955 के अधिनियम द्वारा लुप्त की गयी।
19	236	भारत से बाहर सिक्के के कुटकरण का भारत में दुष्प्रेरण।
20	237	कूटकृत सिक्के का आयात या निर्यात।
21	238	भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात या निर्यात।
22	264	तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्वक उपयोग।
23	265	खोटे बाट या माप का कपटपूर्वक उपयोग ।
24	266	खोटे बाट या माप को कब्जे में रखना।
25	267	खोटे बाट या माप को बनाना या बेचना।
26	310	ठग ।
27	311	दण्ड ।
28	377	प्रकृति विरूद्ध अपराध ।
29	478	–––
30	480	–––
31	490	निरसित।
32	492	निरसित।
33	497	जारकर्म ।

भारतीय न्याय संहिता, 2023

अध्याय 1
प्रारम्भिक

BNS - धारा – 1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना। (IPC – 1, 2, 3, 4, 5)

BNS - धारा - 2. परिभाषाएं। **2(3)- New Added**

BNS	IPC	BNS	IPC	BNS	IPC	BNS	IPC	BNS	IPC
2(1)	32,33	2(9)	25	2(17)	45	2(25)	33	2(33)	39
2(2)	47	2(10)	8	2(18)	42	2(26)	11	2(34)	31
2(3)	-----	2(11)	52	2(19)	10	2(27)	12	2(35)	10
2(4)	28	2(12)	17	2(20)	49	2(28)	21	2(36)	23
2(5)	20	2(13)	52 A	2(21)	22	2(29)	26	2(37)	23
2(6)	46	2(14)	44	2(22)	9	2(30)	41	2(38)	23
2(7)	24	2(15)	43	2(23)	51	2(31)	30	2(39)	29 A
2(8)	29	2(16)	19	2(24)	40	2(32)	48		

BNS - धारा - 3. साधारण स्पष्टीकरण । (IPC – 6, 7, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38)

अध्याय 2
दण्डों के विषय में

BNS - धारा - 4. दण्ड। (IPC – 53)

BNS - धारा - 5. दण्डादेश का लघुकरण। (IPC – 54, 55, 55A)

BNS - धारा - 6. दण्डावधियों की भिन्नें। (IPC – 57)

BNS - धारा - 7. दण्डादिष्ट (कारावास के कतिपय मामलों में) सम्पूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। (IPC –60)

BNS - धारा - 8. जुर्माने की रकम, जुर्माना, आदि देने में व्यतिक्रम। (IPC –63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)

BNS - धारा - 9. कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दण्ड की अवधि। (IPC – 71)

BNS - धारा - 10. कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दण्ड, जब कि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। (IPC – 72)

BNS - धारा - 11. एकान्त परिरोध। (IPC – 73)

BNS - धारा - 12. एकान्त परिरोध की अवधि। (IPC –74)

BNS - धारा - 13. पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दण्ड (Enhanced punishment)। (IPC –75)

अध्याय 3
साधारण अपवाद (General Exceptions)

BNS - धारा - 14. विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य । (IPC –76)

BNS - धारा - 15. न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य । (IPC –77)

BNS - धारा - 16. न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। (IPC -78)

BNS - धारा - 17. विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। (IPC -79)

BNS - धारा - 18. विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। (IPC - 80)

BNS - धारा - 19. कार्य, जिससे अपहानि कारित होना सम्भाव्य है, किन्तु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। (IPC - 81)

BNS - धारा - 20. सात वर्ष से कम आयु के बालक का काय। (IPC -82)

BNS - धारा - 21. सात वर्ष से ऊपर किन्तु बारह वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य (IPC -83)

BNS - धारा - 22. विकृति चित्त व्यक्ति का कार्य। (IPC -84)

BNS - धारा - 23. ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। (IPC -85)

BNS - धारा - 24. किसी व्यक्ति द्वारा, जो मत्तता में किया गया अपराध, जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। (IPC - 86)

BNS - धारा - 25. सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो और न उसकी सम्भाव्यता का ज्ञान हो। (IPC - 87)

BNS - धारा - 26. किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। (IPC - 88)

BNS - धारा - 27. संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मति से बालक या विकृतचित्त वाले व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। (IPC - 89)

BNS - धारा - 28. सम्मति, जिसके सम्बन्ध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। (IPC - 90)

BNS - धारा - 29. ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतरू अपराध है। (IPC - 91)

BNS - धारा - 30. सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। (IPC -92)

BNS - धारा - 31. सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना। (IPC -93)

BNS - धारा - 32. वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है । (IPC - 94)

BNS - धारा - 33. तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। (IPC - 95)

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में।

BNS - धारा - 34. प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें । (IPC - 96)

BNS - धारा - 35. शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार । (IPC - 97)

BNS - धारा - 36. ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो विकृत्त चित्त, आदि हो। (IPC - 98)

BNS - धारा - 37. कार्य, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है । (IPC - 99)

BNS - धारा - 38. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। (IPC - 100)

BNS - धारा - 39. कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का होता है। (IPC - 101)

BNS - धारा - 40. शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना। (IPC - 102)

BNS - धारा - 41. कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता। (IPC – 103)

BNS - धारा - 42. ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक का कब होता है। (IPC – 104)

BNS - धारा - 43. संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारम्भ और बना रहना। (IPC – 105)

BNS - धारा - 44. घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जब कि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है। (IPC – 106)

अध्याय 4

दुष्प्रेरण (Abetment), आपराधिक षडयंत्र और प्रयास के विषय में दुष्प्रेरण के विषय में

BNS - धारा - 45. किसी बात का दुष्प्रेरण। (Define) (IPC – 107)

BNS - धारा - 46. दुष्प्रेरक। (Define) (IPC – 108)

BNS - धारा - 47. भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण । (Define) (IPC – 108A)

BNS - धारा - 48. भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण। (Define) **New Section**

BNS - धारा - 49. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है । (IPC – 109)

दण्ड़ :—वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय ।

न्यायालय– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 50. दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता। (IPC – 110)

दण्ड़ :– वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 51. दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। (IPC – 111)

दण्ड़ :– वही जो दुष्प्रेरित किए जाने के लिए आशयित अपराध के लिए है – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय ।

न्यायालय– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 52. दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दण्ड से दण्डनीय है। (IPC – 112)

दण्ड़ :– वही जो दुष्प्रेरित अपराध के लिए है – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 53. दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो। (IPC - 113)

दण्ड़ :– वही जो किए गये अपराध के लिए है – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 54. अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। (IPC - 114)

दण्ड़ :– वही जो किए गये अपराध के लिए है – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय ।

न्यायालय– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 55. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण। (IPC - 115)

दण्ड़ :– **भाग 1** – 07 वर्ष का कारावास और जुर्माना– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

भाग 2 – 14 वर्ष का कारावास और जुर्माना – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 56. कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण। (IPC - 116)

दण्ड़ :– **भाग 1** – उस दीर्धतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना या दोनों – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

भाग 2 – उस दीर्धतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों– जो अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना या दोनों – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 57. लोक साधारण द्वारा या दस से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण।(IPC - 117)

दण्ड़ :– 07 वर्ष का कारावास और जुर्माना – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 58. मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। (IPC - 118)

दण्ड़ :– **खण्ड (क)** – 07 वर्ष का कारावास और जुर्माना – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

खण्ड (ख) – 03 वर्ष का कारावास और जुर्माना– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– जमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 59. किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना, जिसका निवारण करना उसका कर्त्तव्य है। (IPC - 119)

दण्ड़ :– खण्ड (क) – उस दीर्धतम अवधि के आधे भाग तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों– जो अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना या दोनों – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

खण्ड (ख) – 10 वर्ष का कारावास – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

खण्ड (ग) – उस दीर्धतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना या दोनों – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय – जमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय ।

न्यायालय– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 60. कारावास से दण्डनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना । (IPC - 120)

दण्ड़ :– खण्ड (क) – उस दीर्धतम अवधि के एक चौथाई भाग तक का कारावास जो अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना या दोनों – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है– इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

खण्ड (ख) – उस दीर्धतम अवधि के आठवें भाग तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों– जो अपराध के लिए उपबन्धित है या जुर्माना या दोनों – इसके अनुसार दुष्प्रेरित अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय – जमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है– अशमनीय । **न्यायालय**– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा दुष्प्रेरित अपराध विचारणीय है।

आपराधिक षडयन्त्र (Criminal conspiracy) के विषय में

BNS - धारा - 61. आपराधिक षड्यन्त्र। (IPC - 120A, 120B)

दण्ड़ :– खण्ड (क) – वही जो उस अपराध के, जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है, दुष्प्रेरण के लिए है–इसके अनुसार अपराध, जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है, संज्ञेय है या असंज्ञेय – इसके अनुसार वह अपराध जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है , जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है, विचारणीय है – अशमनीय। **न्यायालय** – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है जिसके द्वारा उस अपराध का दुष्प्रेरण जो षडयन्त्र द्वारा उद्दिष्ट है, विचारणीय है ।

खण्ड (ख) – 06 मास का कारावास या जुर्माना, या दोनों – असंज्ञेय, जमानतीय– प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय–अशमनीय । **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

प्रयत्न (Attempt) के विषय में।

BNS - धारा - 62. आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दण्ड। (IPC - 511)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास के आधे, या उस अपराध के लिए उपबन्धित, दीर्धतम अवधि के आधे से अनधिक का कारावास या जुर्माना या दोनों– इसके अनुसार अपराध, संज्ञेय है या असंज्ञेय–इसके अनुसार वह अपराध जिसका अपराधी द्वारा प्रयत्न किया गया जमानतीय है या अजमानतीय – वह न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा प्रयत्न किया गया अपराध विचारणीय है – अशमनीय ।
न्यायालय – वह न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा प्रयत्न किया गया अपराध विचारणीय है।

अध्याय 5
महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में लैंगिक अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 63. बलात्संग (Rape)। (Define) (IPC - 375)

BNS - धारा - 64. बलात्संग के लिए दण्ड । (IPC - 376)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01** – 10 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास और जुर्माना – संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।
उप–धारा 02 – 10 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल और जुर्माना – संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

BNS - धारा - 65. कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दण्ड। (IPC - 376 A, 376 B)

दण्ड़ :– **उप–धारा (1)** – 20 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल और जुर्माना। संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।
उप–धारा (2) – 20 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल और जुर्माना या , मृत्युदंड़ संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 66. पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड। (IPC - 376 A)

दण्ड़ :– 20 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल या मृत्यु दण्ड़ :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

BNS - धारा - 67. पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। (IPC - 376 B)

दण्ड़ :– 02 से 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

BNS - धारा - 68. प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। (IPC - 376 C)

दण्ड़ :– 05 से 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 69. प्रवचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। **New Section**

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 70. सामूहिक बलात्संग (Gange Rape)। (IPC - 376 D, 376 DA, 376 DB)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01** – 20 वर्ष कारावास, आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवनकाल और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।
उप–धारा 02 – आजीवन कारावास , शेष प्राकृत जीवनकाल कारावास और जुर्माना या मृत्युदण्ड़ :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

BNS - धारा - 71. पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड । (IPC -376 E)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवनकाल कारावास या मृत्यु दण्ड़ :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 72. कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण । (IPC -228 A)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट

BNS - धारा - 73. अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करना। **New Section**

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में

BNS - धारा - 74. महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC - 354)

दण्ड़ :– 01 से 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट

BNS - धारा - 75. लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)। (IPC -354 A)

दण्ड़ :– **उप–धारा 02** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

उप–धारा 03 – 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 76. विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC -354 B)

दण्ड़ :– 03 से 07 वर्ष तक कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 77. दृश्यरतिकता (Voyeurism)। (IPC -354 C)

दण्ड़ :– 01 से 03 वर्ष तक कारावास, अपराध दोहराने पर 03 से 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 78. पीछा करना (Stalking)। (IPC -354 D)

दण्ड़ :– 03 वर्ष तक कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय/अपराध दोहराने पर 05 वर्ष और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 79. शब्द, अंगविक्षेप या कार्य, जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है। (IPC - 509)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास और जुर्माना:– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

विवाह से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 80. दहेज मृत्यु (Dowry Death)। (IPC - 304 B)

दण्ड़ :– 07 वर्ष से आजीवन कारावास तक:– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 81. विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। (IPC -493)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 82. पति या पत्नी के जीवनकाल में पुनः विवाह करना। (IPC -494, 495)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा 02 – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 83. विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। (IPC -496)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 84. विवाहिता महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना। (IPC -498)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 85. किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। (IPC -498 A)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 86. क्रूरता की परिभाषा। **New Section**

BNS - धारा - 87. विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला को व्यपहृत (Abducting) करना, अपहृत (Kidnapping) करना या उत्प्रेरित (Inducting) करना। (IPC -366)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :–संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

गर्भपात (Miscarriage), आदि कारित करने के विषय में

BNS - धारा - 88. गर्भपात कारित करना। (IPC -312)

दण्ड़ :– **भाग 01** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोंनोः– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

भाग 02 – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 89. महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। (IPC -313)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 90. गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु (IPC -314)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01** – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :–संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

उप–धारा 02 – आजीवन कारावास या यथा उपरोक्त :–संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 91. बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। (IPC - 315)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 92. ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात बालक की मृत्यु कारित करना। (IPC -316)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 93. बालक के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के बालक का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। (IPC -317)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 94. मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना । (IPC -318)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 95. अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। **New Section**

दण्ड़ :– **भाग 01** – 03 वर्ष से 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
भाग 02 – कारित किये गये अपराध से समान :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – न्यायालय द्वारा, कारित किया गया अपराध विचारणीय।

BNS - धारा - 96. बालक का उपापन (Procuration of child)। (IPC -366 A)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 97. दस वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण । (IPC - 369)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 98. वेश्यावृत्ति (Prostitution) आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। (IPC -372)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 99. वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजनों के लिए बालक को खरीदना। (IPC -373)

दण्ड़ :– 07 वर्ष से 14 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय ।

अध्याय 6

मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 100. आपराधिक मानव वध (Culpable Homicide)। (Define) (IPC – 299)

BNS - धारा - 101. हत्या (Murder)। (Define) (IPC -300)

BNS - धारा - 102. जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। (Define) (IPC -301)

BNS - धारा - 103. हत्या के लिए दण्ड। (IPC -302)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01** – मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।
उप–धारा 02 – मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माना :–संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय। **New Added**

.BNS - धारा - 104. आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड। (IPC -303)

दण्ड़ :– मृत्यु या आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवनकाल :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 105. हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड। (IPC -304)

दण्ड़ :– **भाग 01** – आजीवन कारावास या 05 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

भाग 02 – 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 106. उपेक्षा (Negligence) द्वारा मृत्यु कारित करना। (IPC -304 A)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01 – (भाग–01)** – 05 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा 01 – (भाग–02) – 02 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा 02 – (Put on hold) – 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। **New Added**

BNS - धारा - 107. बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। (IPC -305)

दण्ड़ :– मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 108. आत्महत्या का दुष्प्रेरण। (IPC - 306)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 109. हत्या करने का प्रयत्न। (IPC -307)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01 – भाग – 01 – 10** वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा 01 भाग – 02 – आजीवन कारावास या यथा उरोक्त :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा 02 – मृत्यु या आजीवन कारावास, शेष प्रकृत जीवनकाल :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 110. आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न (IPC -308)

दण्ड़ :– **भाग 01** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

भाग 02 – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 111. संगठित अपराध (Organized Crime)। **New Section**

दण्ड़ :–**उप–धारा (02)(क)** – मृत्यु या आजीवन कारावास और 10 लाख रू० से अधिक जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

उप–धारा (02)(ख) – 05 वर्ष से आजीवन कारावास और 05 लाख रू० से अधिक जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

उप–धारा (03) – 05 वर्ष से आजीवन कारावास और 05 लाख रू० से अधिक जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

उप–धारा (4) – 05 वर्ष से आजीवन कारावास और 05 लाख रू० से अधिक जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

उप–धारा (5) – 03 वर्ष से आजीवन कारावास और 05 लाख रू० से अधिक जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

उप–धारा (6) – 03 वर्ष से आजीवन कारावास और 02 लाख रू० से अधिक जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

उप–धारा (7) – 03 से 10 वर्ष से तक और 01 लाख रू० जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 112. छोटे संगठित अपराध (Petty Organized Crime)। **New Section**

दण्ड़ :– 01 वर्ष से 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - **धारा - 1**13. आतंकवादी कृत्य (Terrorist Act.)। **New Section**

दण्ड़ :–**उप–धारा (02)(क)** – मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (02)(ख) – 05 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (03) – 05 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (4) – 05 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (5) – आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (6) – 03 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (7) – आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

उपहति (Hurt) के विषय में

BNS - धारा - 114. उपहति। (Define) (IPC – 319)

BNS - धारा - 115. स्वेच्छया उपहति कारित करना। (IPC –321, 323)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या 10 हजार रूपया जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 116. घोर उपहति। (Define) (IPC –320)

BNS - धारा - 117. स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना। (IPC –322, 325)

दण्ड़ :– **उप–धारा (02)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 10 वर्ष से आजीवन कारावास, शेष प्रकति जीवनकाल का कारावास संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट। **New Added**

उप–धारा (04) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय। **New Added**

BNS - धारा – 118. खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना। (IPC –324, 326)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 03 वर्ष कारावास या 20 हजार रू० जुर्माना या दोनोः– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 01 वर्ष से 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 119. संपत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना। (IPC -327, 329)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 120. संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना। (IPC -330, 331)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 121. लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना। (IPC -332, 333)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो:– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 01 वर्ष से 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 122. प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति या घोर उपहति कारित करना। (IPC -334, 335)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो:– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 05 वर्ष कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 123. अपराध करने के आशय से विष (Poision) इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। (IPC -328)

दण्ड़ :– 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 124. अम्ल (Acid), आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।(IPC -326A, 326 B)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (02) – 05 वर्ष से 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा – 125. कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम (Personal Safety) संकटापन्न हो। (IPC -336, 337, 338)

दण्ड़ :– 03 माह या 2500 रूपया जुर्माना या दोनों :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट

खण्ड़ (क) – 06 माह का कारावास या 5 हजार रू० जुर्माना या दोनो:– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड़ (ख) – 03 वर्ष कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

सदोष अवरोध (Wrongful restraint) और सदोष परिरोध (Wrongful Confinement) के विषय में

BNS - धारा - 126. सदोष अवरोध (Wrongful restraint)। (IPC - 339, 341)

दण्ड़ :– 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 127. सदोष परिरोध (Wrongful Confinement)। (IPC -340, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348)

दण्ड़ :– **उप–धारा (02)** – 01 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 03 वर्ष कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – 05 वर्ष कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – किसी अन्य धारा के अधीन कारावास के अतिरिक्त 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (06) – उस दंड़ के अतिरिक्त, जिसके लिए वह दायी हो, 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (07) – 03 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट

उप–धारा (08) – 03 वर्ष का कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट

आपराधिक बल और हमले के विषय में

BNS - धारा - 128. बल (Force)। (Define) (IPC -349)

BNS - धारा - 129. आपराधिक बल (Criminal Force)। (Define) (IPC -350)

BNS - धारा - 130. हमला (Assault) (Define) (IPC -351)

BNS - धारा - 131. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड। (IPC -352)

दण्ड़ :– 03 माह कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनोः– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 132. लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC -353)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनोः– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 133. गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC -355)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनोः– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,

न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 134. किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC - 356)

दण्ड़ :— 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनोः— संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय — कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 135. किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC -357)

दण्ड़ :— 01 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनोः— संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय — कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 136. गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। (IPC - 358)

दण्ड़ :— 01 माह कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनो :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय — कोई मजिस्ट्रेट।

व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बलात्श्रम के विषय में

BNS - धारा - 137. व्यपहरण (Kidnapping) । (IPC -359, 360, 361, 363)

दण्ड़ :— 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :—संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 138. अपहरण (Abduction)। (Define) (IPC - 362)

BNS - धारा - 139. भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यपहरण या विकलांगीकरण। (IPC - 363 A)

दण्ड़ :— **उप—धारा (01)** — 10 वर्ष से अधिक कारावास से आजीवन कारावास और जुर्माना :—
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप—धारा (02) — 20 वर्ष से शेष प्राकृत जीवनकाल तक और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 140. हत्या करने के लिए या फिरौती (Ransom) आदि के लिए व्यपहरण या अपहरण। (IPC -364, 364 A, 365, 367)

दण्ड़ :—**उप—धारा (01)** — आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :—
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (02) — मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (03) — 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप—धारा (04) — 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय — सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 141. विदेश से बालिका (21 वर्ष से कम) या बालक (18 वर्ष से कम) का आयात करना। (IPC -366 B)

दण्ड़ :— 10 वर्ष कारावास और जुर्मानाः— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 142. व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना। (IPC -368)

दण्ड़ :— व्यपहरण या अपहरण के लिए दण्ड :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय — वह न्यायालय जिसके द्वारा व्यपहरण या अपहरण विचारणीय है।

BNS - धारा - 143. व्यक्ति का दुर्व्यापार (Trafficking of Person) । (IPC - 370)

दण्ड़ :—**उप—धारा (02)** — 07 वर्ष से 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय — सेशन न्यायालय।

उप–धारा (03) – 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (04) – 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (05) – 14 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (06) – आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवनकाल कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (07) – आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवनकाल कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 144. ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण (Exploitation)। (IPC -370 A)

दण्ड़ :–**उप–धारा (01)** – 05 वर्ष से 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष से 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 145. दासों का आभ्यासिक व्यौहार (Habitual dealing) करना । (IPC -371)

दण्ड़ :– 10 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 146. विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम (Unlawful Compulsary labour) (IPC -374)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 7
राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 147. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। (IPC -121)

दण्ड़ :– मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा – 148 - धारा 147 द्वारा दण्डनीय अपराधों को करने का षड्यन्त्र। (IPC -121 A)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय

BNS - धारा - 149. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना (IPC -122)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 150. युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने (Facilitate) के आशय से छिपाना। (IPC -123)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 151. किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति व राज्यपाल आदि पर हमला करना । (IPC -124)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 152. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को खतरे में डालने वाले कार्य । **New Section**

दण्ड़ :– आजीवन कारावास या 07 वर्ष कारावास और जुर्मानाः– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 153. भारत सरकार से मैत्री सम्बन्ध रखने वाले किसी विदेशी राज्य के विरुद्ध युद्ध करना। (IPC - 125)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास और जुर्माना या 07 वर्ष कारावास और जुर्माना या जुर्मानाः– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 154. भारत सरकार के साथ शान्ति का सम्बन्ध रखने वाले विदेशी राज्य के राज्यक्षेत्र में लूटपाट करना। (IPC -126)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना और कतिपय संपति का समपरहन :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 155 - धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना। (IPC -127)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना और कतिपय संपति का समपरहन :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 156. लोक सेवक का स्वेच्छया राजकैदी या युद्धकैदी (Prisioner of State or war) को निकल भागने देना। (IPC -128)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 157. उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। (Suffering Such Prisioner to Escape) । (IPC -129)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास और जुर्मानाः– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 158. ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संश्रय देना। (IPC - 130)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

अध्याय 8

सेना, नौसेना और वायुसेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 159. विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्त्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। (IPC -131)

दण्ड़ :– आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्मानाः– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 160. विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणामस्वरूप विद्रोह किया जाए। (IPC -132)

दण्ड़ :– मृत्यु या आजीवन कारावास या 10 वर्ष कारावास और जुर्माना – संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 161. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जब कि वह अधिकारी अपने पद–निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। (IPC -133)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 162. ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाए। (IPC -134)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 163. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन (Desertion) का दुष्प्रेरण। (IPC -135)
दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 164. अभित्याजक (भगोड़े) को संश्रय देना (Harbouring Deserter)। (IPC -136)
दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 165. मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक (IPC -137)
दण्ड़ :– 03 हजार रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 166. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अनधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण (IPC -138)
दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट

BNS - धारा - 167. कतिपय अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ति। (Define) (IPC -139)

BNS - धारा - 168. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। (IPC -140)
दण्ड़ :– 02 03 माह कारावास या 02 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 9
निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 169. अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार परिभाषित। (Define) (IPC -171 A)

BNS - धारा - 170. रिश्वत (Bribery) (निर्वाचन संबंधी)। (Define) (IPC - 171 B)

BNS - धारा - 171. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना (Undue Influence at Elections)। (Define) (IPC -171 C)

BNS - धारा - 172. निर्वाचनों में प्रतिरूपण (Personation at Election) (IPC -171 D)

BNS - धारा - 173. रिश्वत के लिए दण्ड (निर्वाचन संबंधी)। (IPC -171 E)
दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 174. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालने या प्रतिरूपण (Personation) के लिए दण्ड (IPC -171 F)
दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 175. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन (False Statement) । (IPC -171 G)
दण्ड़ :– जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 176. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय (illegal payments in Connection with an Election) (IPC -171 H)
दण्ड़ :– 10 हजार रू० का जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 177. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता (Failure to keep election accounts) (IPC - 171 -I)
दण्ड़ :– 05 हजार रू० का जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

अध्याय 10
सिक्कों, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 178. सिक्कों, सरकारी स्टाम्पों, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण (Counterfeiting)। (IPC -230, 231, 232, 246, 247, 248, 249 ,255, 489 A)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा – 179. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को असली के रूप में उपयोग करना। (IPC -239, 240, 241, 250, 251, 254, 258, 260, 489 B)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 180. कूटरचित या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट को कब्जे में रखना । (IPC -242, 243, 252, 253, 259, 489 C)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो – संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 181. लिखत या कूटरचना के लिए सामग्री या कूटकृत सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोटों को बनाना या कब्जे में रखना। (IPC -233, 234, 235, 256, 257, 489 D)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 182. करेंसी नोटों या बैंक नोटों के सदृश रखने वाले दस्तावेजों की रचना या उपयोग।(IPC-489 E)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 300 रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 600 रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 183. सरकार को हानि कारित करने के आशय से, उस पदार्थ पर से, जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है, लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना, जो उसके लिए उपयोग में लाया गया है । (IPC - 261)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 184. ऐसे सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। (IPC - 262)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 185. स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिह्न का छीलकर मिटाना (Erasure of mark denoting)। (IPC - 263)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 186. बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध। (IPC - 263 A)

दण्ड़ :– 200 रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 187. टकसाल में नियोजित व्यक्ति द्वारा सिक्के का उस वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया। जाना जो विधि द्वारा नियत है। (IPC -244)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 188. टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधिविरुद्ध रूप से लेना। (IPC - 245)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रैअं

अध्याय 11

लोक प्रशांति (Public tranquillity) के विरुद्ध अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 189. विधिविरुद्ध जमाव (Unlawful assembley)। (IPC- 141, 142, 143, 144, 145, 150, 151, 157, 158)

दण्ड़ :–**उप–धारा (02)** – 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (06) – वही, जो ऐसे जमाव के सदस्य के लिये और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किये गये किसी अपराध के लिये है– संज्ञेय – इसके अनुसार अपराध जमानतीय है या अजमानतीय– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है अशमनीय। **न्यायालय** – वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है।

उप–धारा (07) – 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (08) – 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (09) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 190. विधिविरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी। (IPC - 149)

दण्ड़ :–वही, जो उस अपराध के लिये है इसके अनुसार वह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय – इसके अनुसार अपराध जमानतीय है या अजमानतीय– उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है – अशमनीय। **न्यायालय** – वह न्यायालय जिसके द्वारा यह अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 191. बल्वा करना (Roiting)। (IPC -146, 147, 148)

दण्ड़ :– **उप–धारा (02)** – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 192. बल्वा कराने के आशय से स्वैरिता (wantonly) से प्रकोपन (Provocation) देना, यदि बल्वा किया जाए, यदि बल्वा न किया जाए। (IPC -153)

दण्ड़ :– भाग (01) – 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

भाग (02) – 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 193. उस भूमि के स्वामी या अधिभोगी (Occupier), आदि, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव या बल्वा किया गया है, का दायित्व। (IPC - 154, 155, 156)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 01 हजार रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट ।

उप–धारा (02) – जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 194. दंगा (Affray)। (IPC -159, 160)

दण्ड़ :– 01 माह कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 195. लोक सेवक जब बल्वे इत्यादि को दबा रहा हो, तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। (IPC -152)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 03 वर्ष कारावास या कम से कम 25 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट। **New Added**

BNS - धारा - 196. धर्म, मूलवंश, जन्म–स्थान तथा निवास–स्थान, भाषा, इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। (IPC -153 A)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 197. राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान (Imputations, Assertions)। (IPC - 153 B)

दण्ड़ :– उप–धारा (01) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। **1(घ)– New Added**

उप–धारा (02) – 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

अध्याय 12
लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 198. लोक सेवक, जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। (IPC -166)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 199. लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है। (IPC -166 A)

दण्ड़ :– 06 माह से 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 200. पीड़ित का उपचार न करने के लिए दण्ड। (IPC -166 B)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 201. लोक सेवक, जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज (Incorrect Documents) रचता है। (IPC -167)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 202. लोक सेवक, जो विधिविरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। (IPC -168)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो या सामुदायिक सेवा :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 203. लोक सेवक,जो विधिविरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। (IPC -169)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो और क्रय संपति का अधिग्रहण :–
असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 204. लोक सेवक का प्रतिरूपण (Personating of public servent)। (IPC -170)

दण्ड़ :– 06 माह से 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 205. कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण करना (IPC -171)

दण्ड़ :– 03 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 13
लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में

BNS - धारा - 206. समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। (IPC -172)

दण्ड़ :–**खण्ड(क)** – 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 207. समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। (IPC-173)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 208. लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर–हाजिर रहना। (IPC -174)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 209. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा (Proclamation) के जवाब मे गैर–हाजिरी। (IPC -209)

दण्ड़ :– **भाग (01)** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो या समुदाय सेवा (Community Service), संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

भाग (02) – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 210. दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का लोप। (IPC -175)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 211. विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तिला देने का लोप।(IPC -176)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – 06 माह कारावास या 1 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 212. मिथ्या इत्तिला (False Information) देना। (IPC -177)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 213. शपथ या प्रतिज्ञान से इन्कार करना जब कि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक् रूप से अपेक्षित किया जाए। (IPC -178)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 214. प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इन्कार करना। (IPC -179)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 215. कथन पर हस्ताक्षर करने से इन्कार। (IPC -180)

दण्ड़ :– 03 माह कारावास या 03 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 216. शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के, या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। (IPC -181)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 217. इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। (IPC -182)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 218. लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। (IPC -183)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 219. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए स्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा उपस्थित करना। (IPC -184)

दण्ड़ :– 01 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 220. लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का अवैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना । (IPC -185)

दण्ड़ :– 01 माह कारावास या 200 रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 221. लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना । (IPC -186)

दण्ड़ :– 03 माह कारावास या 2500 रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 222. लोक सेवक की सहायता करने का लोप, जब कि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। (IPC -187)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 01 माह कारावास या 2500 रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 223. लोक सेवक द्वारा सम्यक् रूप से प्रख्यापित आदेश (Order duly promulgated) की अवज्ञा। (IPC -188)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 06 माह कारावास या 2500 रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 01 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 224. लोक सेवक को क्षति (Injury) करने की धमकी। (IPC -189)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 225. लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। (IPC -190)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 226. विधिविरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। (IPC -309)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो या सामुदायिक सेवा :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 14
मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 227. मिथ्या साक्ष्य देना (Giving False Evidence)। (Define) (IPC -191)

BNS - धारा - 228. मिथ्या साक्ष्य गढ़ना (Fabricating False Evidence) । (Define) (IPC -192)

BNS - धारा - 229. मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड। (IPC -193)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 07 वर्ष कारावास और 10 हजार रू० जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास और 05 हजार रू० जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 230. मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। (IPC -194)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और 05 हजार रू० जुर्माना :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (02) – मृत्यु या यथा उपर्युक्त :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 231. आजीवन कारावास या कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। (IPC -195)

दण्ड़ :– वही जो उस अपराध के लिए :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 232. किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकाना। (IPC -195 A)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या अपराध विचारणीय है।

उप–धारा (02) – दण्ड़ वही, जो उस अपराध के लिए :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 233. उस साक्ष्य को काम मे लाना, जिसका मिथ्या होना ज्ञात है। (IPC -196)

दण्ड़ :– वही जो मिथ्या साक्ष्य देने या गढने के लिए है :– असंज्ञेय– इसके अनुसार ऐसा साक्ष्य देनें का अपराध जमानतीय है या अजमानतीय – उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा मिथ्या देनें या गढने का अपराध विचारणीय है, अशमनीय ।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या गढनें का अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 234. मिथ्या प्रमाणपत्र जारी करना या हस्ताक्षरित करना। (IPC -197)

दण्ड़ :– वही जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 235. प्रमाणपत्र को जिसका मिथ्या होना ज्ञात है सत्य के रूप में काम में लाना। (IPC -198)

दण्ड़ :– वही जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 236. ऐसी घोषणा में, जो साक्ष्य के रूप में विधि द्वारा ली जा सके, किया गया मिथ्या कथन। (IPC -199)

दण्ड़ :– वही जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 237. ऐसी घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए, उसे सत्य के रूप में काम में लाना। (IPC -200)

दण्ड़ :– वही जो मिथ्या साक्ष्य देने के लिए :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय।

न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य देनें या अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 238. अपराध के साक्ष्य का विलोपन, या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए मिथ्या इत्तिला देना। (IPC -201)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना – इसके अनुसार ऐसा अपराध जिसकी बाबत साक्षय का विलोपन हुआ है संज्ञेय है या असंज्ञेय–जमानतीय–सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय– अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय–प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय– अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – उस दीर्घतम अवधि की 01 चौथाई कारावास या जुर्माना या दोना, असंज्ञेय–जमानतीय–, उस न्यायालय द्वारा विचारणीय जिसके द्वारा अपराध विचारणीय है – अशमनीय, **न्यायालय** – वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 239. इत्तिला देने के लिए आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का जानबूझकर लोप। (IPC -202)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,

न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 240. किए गए अपराध के विषय में मिथ्या इत्तिला देना। (IPC -203)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,

न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 241. साक्ष्य के रूप में किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नष्ट करना (IPC -204)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,

न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 242. वाद या अभियोजन में किसी कार्य या कार्यवाही के प्रयोजन से मिथ्या प्रतिरूपण (IPC -205)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,

न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 243 संपत्ति को समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए उसे कपटपूर्वक हटाना या छिपाना। (IPC -206)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,

न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 244. संपत्ति पर उसके समपहरण किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहीत किए जाने से निवारित करने के लिए कपटपूर्वक दावा। (IPC -207)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,

न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 245. ऐसी राशि के लिए जो शोध्य नही (Not due) हो, कपटपूर्वक डिक्री होने देना सहन करना। (IPC -208)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 246. बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। (IPC -209)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 247. ऐसी राशि के लिए, जो शोध्य नहीं है, कपटपूर्वक डिक्री अभिप्राप्त करना (IPC -210)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 248. क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। (IPC -211)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 05 वर्ष कारावास या 02 लाख रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 249, अपराधी को संश्रय देना (Harbouring Offender) । (IPC -212)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ग) – उस दीर्घतम अवधि की 01 चौथाई कारावास या जुर्माना या दोनो – संज्ञेय– जमानतीय –प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय–अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 250. अपराधी को दण्ड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। (IPC -213)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ग) – उस दीर्घतम अवधि की 01 चौथाई कारावास या जुर्माना या दोनो – संज्ञेय–जमानतीय–प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय – अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 251. अपराधी के प्रतिच्छादन के प्रतिफलस्वरूप उपहार की प्रस्थापना या संपत्ति का प्रत्यावर्तन। (IPC -214)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
खण्ड(ग) – उस दीर्घतम अवधि की 01 चौथाई कारावास या जुर्माना या दोनो – संज्ञेय–जमानतीय–प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय – अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 252. चोरी की संपत्ति इत्यादि के वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार लेना। (IPC -215)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 253. ऐसे अपराधी को संश्रय देना, जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है । (IPC -216)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना सहित या रहित :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – उस दीर्घतम अवधि की 01 चौथाई कारावास या जुर्माना या दोनो –
संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 254. लुटेरों या डाकुओं को संश्रय देने के लिए शास्ति (Penalty) । (IPC -216 A)

दण्ड़:– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट

BNS - धारा - 255. लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी संपत्ति के समपहरण से बचाने के।

दण्ड़ :– आशय से विधि के निदेश की अवज्ञा (Disobeying Direction) । (IPC -217)
02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 256. किसी व्यक्ति को दण्ड से या किसी संपत्ति को समपहरण से बचाने के आशय से लोक सेवक द्वारा अशुद्ध अभिलेख या लेख की रचना। (IPC -218)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 257. न्यायिक कार्यवाही में विधि के प्रतिकूल रिपोर्ट आदि का लोक सेवक द्वारा भ्रष्टतापूर्वक किया जाना। (IPC -219)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 258. प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी। (IPC -220)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 259. पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप। (IPC -221)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना (सहित–रहित) :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना (सहित–रहित) :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – 02 वर्ष कारावास और जुर्माना (सहित–रहित) :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 260. दण्डादेश के अधीन या विधिपूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध लोक सेवक द्वारा पकड़ने का जानबूझकर लोप। (IPC -222)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 14 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास या जुर्माना (सहित–रहित) :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

खण्ड(ख) – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना (सहित–रहित) :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 261. लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से परिरोध या अभिरक्षा में से निकल भागना सहन करना। (IPC -223)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 262. किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। (IPC -224)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 263. किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा। (IPC -225)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(घ) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ड) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 264. उन दशाओं में, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं है, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना। (IPC -225 A)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 265. अन्यथा अनुपबन्धित दशाओं में विधिपूर्वक पकड़ने में प्रतिरोध या बाधां या निकल भागना या छुड़ाना। (IPC -225 B)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट

BNS - धारा - 266. दण्ड के परिहार (Remission) की शर्त का अतिक्रमण। (IPC -227)

दण्ड़ :– मूल दण्ड़ादेश का दण्ड़ या यदि दण्ड़ का भाग भोग लिया गया है, तो अवशिष्ट भाग :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – वह न्यायालय जिसके द्वारा मूल अपराध विचारणीय है।

BNS - धारा - 267. न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक–सेवक का साशय अपमान या उसके कार्य में विघ्न (IPC -228)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – अध्याय 28 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह न्यायालय, जिसमें अपराध किया गया है या यदि अपराध न्यायालय में नहीं किया गया है तो कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 268. असेसर (Assessor) का प्रतिरूपण। (IPC -229)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 269. जमानतपत्र या बन्धपत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्यायालय में हाजिर होने में असफलता । (IPC -229 A)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 15
लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 270. लोक न्यूसेन्स (Public Nuisance) । (IPC -268)

BNS - धारा - 271. उपेक्षापूर्ण कार्य (Negligent Act), जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो । (IPC -269)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 272. परिद्वेषपूर्ण कार्य (Malignant Act), जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना सम्भाव्य हो । (IPC -270)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 273. क्वारंटाइन के नियम की अवज्ञा। (IPC -271)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 274. विक्रय के लिए आशयित खाद्य (Adulteration of Food) या पेय का अपमिश्रण। (IPC -272)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 275. अपायकर खाद्य या पेय (Noxious Food or Drink) का विक्रय। (IPC -273)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 276. ओषधियों का अपमिश्रण (Adulteration of drugs) । (IPC -274)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 277. अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। (IPC -275)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 278. ओषधि का भिन्न ओषधि या निर्मिति के तौर पर विक्रय (Sale of drug as a different drug or prepration)। (IPC -276)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 279. लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित (Fouling) करना। (IPC -277)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 280. वायुमण्डल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर (Noxious) बनाना। (IPC -278)
दण्ड़ :– 01 हजार रू० जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 281. लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हांकना। (IPC -279)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 282. जलयान का उतावलेपन से चलाना। (IPC -280)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 10 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 283. भ्रामक प्रकाश, चिह्न या बोये का प्रदर्शन। (IPC -281)
दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या 10 हजार रू० से कम नही जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 284. अक्षमकर या अति लदे (Unsafe or Overload) हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवहण । (IPC -282)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 285. लोक मार्ग या नौपरिवहन पथ में संकट या बाधा। (IPC -283)
दण्ड़ :– 05 हजार रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 286. विषैले पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण। (IPC -284)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 287. अग्नि या ज्वलनशील पदार्थ के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण। (IPC -285)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 02 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 288. विस्फोटक पदार्थ के बारे में उपेक्षापूर्ण आचरण। (IPC -286)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 289. मशीनरी के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण । (IPC -287)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 290. किसी निर्माण को गिराने या उसकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण।(IPC -288)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 291. जीव–जन्तु के सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण आचरण। (IPC -289)
दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 292. अन्यथा अनुपबन्धित मामलों में लोक न्यूसेन्स के लिए दण्ड। (IPC -290)
दण्ड़ :– 01 हजार रू० जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 293. न्यूसेन्स बन्द करने के व्यादेश के पश्चात् उसका चालू रखना। (IPC -291)

दण्ड़ :– 06 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 294. अश्लील पुस्तकों (Obscene Books) आदि का विक्रय आदि। (IPC -292)

दण्ड़ :– प्रथम दोषसिद्धि पर 02 वर्ष कारावास और 05 हजार रू० जुर्माना और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर 05 वर्ष कारावास और 10 हजार रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 295. बालक को अश्लील वस्तुओं (Obscene Objects) का विक्रय, आदि। (IPC -293)

दण्ड़ :– प्रथम दोषसिद्धि पर 03 वर्ष कारावास और 02 हजार रू० जुर्माना और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर 07 वर्ष कारावास और 05 हजार रू० जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 296. अश्लील कार्य और गाने (Obscene Acts and Songs)। (IPC -294)

दण्ड़ :– 03 माह कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 297. लाटरी कार्यालय रखना। (IPC -294 A)

दण्ड़ :– **उप–धारा 01** – 06 माह कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनो, असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय
उप–धारा 02 – 05 हजार रू० जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 16
धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 298. किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना। (IPC -295)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा – 299. विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। (IPC -295 A)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 300. धार्मिक जमाव में विघ्न करना (Disturbing)। (IPC -296)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 301. कब्रिस्तानों आदि में अतिचार (Trespassing) करना । (IPC -297)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 302. किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना आदि। (IPC -298)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 17

संपत्ति के विरूद्ध अपराधों के विषय में चोरी के विषय में

BNS - धारा - 303. चोरी (Theft)। (IPC -378, 379)

दण्ड़ :– 01 वर्ष से 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 304. झपटमारी (Snatching)। **New Section**

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 305. निवास गृह, या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। (IPC -380)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 306. लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। (IPC -381)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 307. चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी। (IPC -382)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उद्दापन (Extortion) के विषय में

BNS - धारा - 308. उद्दापन। (IPC -383, 384, 385, 386, 387, 388, 389)

दण्ड़ :– **उप–धारा (02)** – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (06) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (07) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

लूट और डकैती के विषय में

BNS -धारा - 309. लूट (Robbery)। (IPC -390, 392, 393, 394)

दण्ड़ :–**उप–धारा (04)–भाग(1)** – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04)–भाग(2) – 14 वर्ष कारावास :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (06) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 310. डकैती (Dacoity)। (IPC -391, 395, 396, 399, 402)

दण्ड़ :—उप—धारा (02) — 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (03) — 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास, मृत्यु और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (04) — 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (05) — 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (06) — 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 311. मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। (IPC -397)

दण्ड़ :— 07 वर्ष कारावास :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 312. घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। (IPC -398)

दण्ड़ :— 07 वर्ष कारावास :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 313. लुटेरों आदि की टोली का होने के लिए दण्ड। (IPC -400, 401)

दण्ड़ :— 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग (Criminal Misappropriation) के विषय में

BNS - धारा - 314. संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। (IPC -403)

दण्ड़ :— 06 माह से 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 315. ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी। (IPC -404)

दण्ड़ :—भाग (01) — 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :— असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

भाग (02) — 07 वर्ष कारावास :— असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

आपराधिक न्यासभंग (Criminal breach of trust) के विषय में

BNS - धारा - 316. आपराधिक न्यासभंग । (IPC -405, 406, 407, 408, 409)

दण्ड़ :—उप—धारा (02) — 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :— संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप—धारा (03) — 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप—धारा (04) — 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :— संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

चुराई हुई संपत्ति (Stolen Property) प्राप्त करने के विषय में

BNS - धारा - 317. चुराई हुई संपत्ति । (IPC -410, 411, 412, 413, 414)

दण्ड़ :– उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

उप–धारा (04) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय ।

उप–धारा (05) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

छल (Cheating) के विषय में

BNS - धारा - 318. छल। (IPC -415, 417, 418, 420)

दण्ड़ :–उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 319. प्रतिरूपण द्वारा छल। (IPC -416, 419)

दण्ड़ :– 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में
Of fraudulent deeds and dispositions of property

BNS - धारा - 320. लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। (IPC -421)

दण्ड़ :– 06 माह से 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 321. ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना। (IPC -422)

दण्ड़ :– 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 322. अन्तरण के ऐसे विलेख का, जिसमें प्रतिफल के संबंध में मिथ्या कथन अन्तर्विष्ट है, बेईमानी (IPC -423)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 323. संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाया जाना। (IPC -424)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

रिष्टि (Mischief) के विषय में

BNS - धारा - 324. रिष्टि। (IPC -425, 426, 427, 440)

दण्ड़ :–**उप–धारा (02)** – 06 माह कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट। **New Added**

उप–धारा (04) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (06) – 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 325. जीव–जन्तु को वध करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टि। (IPC - 428, 429)

दण्ड़ :– 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 326. क्षति, जलप्लावन, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि।
(IPC -430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438)

दण्ड़ :– **खण्ड(क)** – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ख) – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ग) – 05 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(घ) – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(ड) – 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

खण्ड(च) – 07 वर्ष कारावास, जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

खण्ड(छ) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 327. रेल, वायुयान, तल्लायुक्त या बीस टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या सापद बनाने के आशय से रिष्टि। (IPC -437)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (02) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - धारा - 328. चोरी, आदि करने के आशय से जलयान को साशय भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए।
(IPC -439)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

आपराधिक अतिचार (Criminal Trespass) के विषय में

BNS - **धारा - 3**29. आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार (Criminal trespass and house trespass) ।
(IPC - 441, 442, 447, 448)

दण्ड़ :– **उप–धारा (03)** – 03 माह कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :–
संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – 01 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :–
संज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - **धारा - 3**30. गृह– अतिचार और गृह भेदन। (Define) (IPC -443, 444, 445)

BNS - **धारा - 3**31. गृह– अतिचार या गृह–भेदन (House Breaking) के लिए दण्ड।
(IPC - 443, 444, 446, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460)

दण्ड़ :–**उप–धारा (01)** – 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03)–भाग(1) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03)–भाग(2) – 10 वर्ष कारावास :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04)–भाग(1) – 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04)–भाग(2) – 14 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (05) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (06) – 14 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (07) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

उप–धारा (08) – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

BNS - **धारा - 3**32. अपराध को करने के लिए गृह–अतिचार। (IPC -449, 450, 451)

दण्ड़ :–**खण्ड(क)** – 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :–
संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – सेशन न्यायालय।

खण्ड(ख) – 10 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – सेशन न्यायालय

खण्ड(ग) – 02 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

परन्तुक (Proviso) दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - **धारा –** 333. उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार। (IPC -452)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - **धारा -** 334. ऐसे पात्र को, जिसमें संपत्ति है, बेईमानी से तोड़कर खोलना (IPC -461, 462)

दण्ड़ :– **उप–धारा (01)** – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 18
दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराधों के विषय में

BNS - धारा - 335. मिथ्या दस्तावेज रचना (Making a false document)। (Deafine) (IPC -464)

BNS - धारा - 336. कूटरचना (Forgery)। (IPC -463, 465, 468, 469)

दण्ड़ :–**उप–धारा (02)** – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 337. न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूटरचना। (IPC -466)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या जुर्माना :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय– प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 338. मूल्यवान प्रतिभूति, विल, इत्यादि की कूटरचना। (IPC -467)

दण्ड़ :– 10 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 339. धारा 337 या धारा 338 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुए और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुए, कब्जे में रखना। (IPC -474)

दण्ड़ :– **भाग (01)** – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

भाग (02) – 07 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 340. कूटरचित दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख और इसे असली के रूप में उपयोग में लाना। (IPC -470, 471)

दण्ड़ :– ऐसे दस्तावेज की कुटरचना के लिए दण्ड :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 341. धारा 338 के अधीन दण्डनीय कूटरचना करने के आशय से कूटकृत मुद्रा, आदि का बनाना या कब्जे में रखना । (IPC - 472, 473)

दण्ड़ :–उप–धारा (01) – 07 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। **New Added**

उप–धारा (04) – दण्ड़– वहव उसी प्रकार दण्ड़ित होगा, मानो उसने ऐसी मुद्रा, पट्टि या अन्य लिखत को कूटकृत किया है :– संज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। **New Added**

BNS - धारा - 342. धारा 338 में वर्णित दस्तावेजों के अधिप्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिह्न की कूटकृति बनाना या कूटकृत चिह्नयुक्त पदार्थ को कब्जे में रखना। (IPC -475, 476)

दण्ड़ :–उप–धारा (01) – 07 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 07 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 343. विल (Will), दत्तकग्रहण प्राधिकार पत्र (Authority to adopt) या मूल्यवान प्रतिभूति (Valuable Security) को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना। (IPC -477)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 344. लेखा का मिथ्याकरण। (IPC -477 A)

दण्ड़ :– 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

संपत्ति चिह्नों (Property mark) के विषय में

BNS - धारा – 345. संपत्ति चिह्न। (मिथ्य संपत्ति चिह्न का उपयोग) (IPC -479, 481, 482)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 346. क्षति कारित करने के आशय से संपत्ति–चिह्न को बिगाड़ना (IPC -489)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 347. संपत्ति–चिह्न का कूटकरण। (IPC -483, 484)

दण्ड़ :–उप–धारा (01) – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास और जुर्माना :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 348. संपत्ति–चिह्न के कूटकरण के लिए कोई उपकरण बनाना या उस पर कब्जा (IPC -485)

दण्ड़ :– 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 349. कूटकृत संपत्ति–चिह्न से चिह्नित माल का विक्रय। (IPC -486)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 350. किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिह्न बनाना जिसमें माल रखा है (IPC -487, 488)

दण्ड़ :–**उप–धारा (01)** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 19
आपराधिक अभित्रास अपमान और क्षोभ के विषय में

BNS - धारा - 351. आपराधिक अभित्रास (Criminal Intimidation)। (IPC - 503, 506, 507)

दण्ड़ :–**उप–धारा (02)** – 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 07 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (04) – धारा 351(1) के अधीन दण्ड़ के अतिरिक्त 02 वर्ष कारावास :–
असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 352. लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान । (IPC -504)

दण्ड़ :–02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय– कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 353. लोक रिष्टिकारक वक्तव्य। (IPC -505)

दण्ड़ :–**उप–धारा (01)** – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (02) – 03 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

उप–धारा (03) – 05 वर्ष कारावास और जुर्माना :– संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 354. व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, कराया गया कार्य (IPC -508)

दण्ड़ :– 01 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :– असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय,
न्यायालय – कोई मजिस्ट्रेट।

BNS - धारा - 355. मत्त व्यक्ति (Drunken Person) द्वारा लोकस्थान में अवचार। (IPC -510)

24 घण्टे का कारावास या 01 हजार रू० जुर्माना या दोनो या सामुदायिक सेवा :–
असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय, **न्यायालय** – कोई मजिस्ट्रेट।

मानहानि (Defamation) के विषय में

BNS - धारा - 356. मानहानि। (IPC -499, 500, 501, 502)

दण्ड़ :—उप—धारा (02) — राष्ट्रपति या उप—राष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरूध मानहानि उसके लोक कृत्यों के निरवाहन के आचरण के बारे में हो — 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो या सामुदायिक सेवा :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय ।

उप—धारा (02) — किसी अन्य मामले में मानहानि— 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो या सामुदायिक सेवाः— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप—धारा (03) — राष्ट्रपति या उप—राष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरूध मानहानिकारक जानते हुए ऐसी बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना जो उसके लोक कृत्यों के निरवाहन के आचरण के बारे में हो — 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (03) — किसी अन्य मामला मे मानहानिकारक जानते हुए — 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो — असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

उप—धारा (04) — मानहानिकारक विषय अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय कि उसमें राष्ट्रपति या उप—राष्ट्रपति या राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या मंत्री के विरूध लोक कृत्यों के निरवाहन के आचरण के बारे में ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है — 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — सेशन न्यायालय।

उप—धारा (04) — किसी अन्य मामले में मानहानिकारक बात को अन्तर्विष्ट रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ का यह जानते हुए विक्रय कि उसमें ऐसा विषय अन्तर्विष्ट है — 02 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनो :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।

असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविढा का भंग के विषय में

BNS - धारा - 357. असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग के विषय में। (IPC -491)

दण्ड़ :— 03 वर्ष कारावास या 05 हजार रू० जुर्माना या दोनो :— असंज्ञेय, जमानतीय, शमनीय, **न्यायालय** — कोई मजिस्ट्रेट।

अध्याय 20
निरसन और व्यावृत्ति के विषय में

BNS - धारा - 358. निरसन और व्यावृति (Repeal and Savings)। **New Section**

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

In Guidance of

Shailendra Kumar Sinha (IPS)

Director

Jharkhand Police Academy, Hazaribag

Compiled By

Roshan Guria (ASP), JPA

Ritesh Verma (Librarian), JPA

Anil Kumar (Computer Instructor), JPA

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) 2023 में कुछ जोडी गयी महत्त्वपुर्ण धाराएँ/उप-धाराएँ

क्र०सं०	धारा / उप–धारा	
1	2(1) (क)	परिभाषाएं – श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रॉनिक (Audio Video Electronic means) ।
2	2(1) (ख)	परिभाषाएं – जमानत (Bail) ।
3	2(1) (घ)	परिभाषाएं – जमानतपत्र (Bail Bond)।
4	2(1) (ङ)	परिभाषाएं – बंधपत्र (Bond)।
5	2(1) (झ)	परिभाषाएं – इलेक्ट्रॉनिक संसूचना (Electronic Communication)।
6	35(7)	03 वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय अपराध के मामलो मे ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीडित है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है, कि गिरफतारी पुलिस उपाधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की अनुमति के बिना नही की जायेगी।
7	86	उद्घोषित (Proclaimed) व्यक्ति के सम्पति की पहचान और कुर्की।
8	105	श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना (मोबाइल फोन को वरीयता)।
9	107	संपति की कुर्की, जब्ती या वापसी।
10	172	व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना।
	173 (1)	संज्ञेय अपराध की इत्तिला क्षेत्र पर विचार किये बिना (Irrespective of the area) मौखिक रूप से या इलैक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा दी जा सकेगी।
	173 1(ii)	यदि इलैक्ट्रॉनिक संसूचना दी गई है तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा 03 दिन के भीतर हस्ताक्षरित किये जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जायेगी।
	173 (3)	धारा 175 मे अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संज्ञेय मामलों (03 वर्ष से 07 वर्ष तक दण्ड मे) थाने का भारसाधक अधिकारी द्वारा (i) प्रथम द्ष्टया विद्यमान प्रारंभिक जाँच संचालित करने के लिये या, (ii) अन्वेषण की कार्यावाही करने के लिये, ऐसे अधिकारी जो उप–पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, की पुर्वानुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा।
	185 – 2(1)	इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमानतयाः मोबाइल फोन, श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।
11	336	कतिपय मामलों में लोकसेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य।
12	356	उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, विचारण और निर्णय।
13	398	साक्षी संरक्षण स्कीम (Witness Protection scheme) ।
14	472	मृत्यु दण्डादेश मामलों में दया याचिका ।
15	530	इलैक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (B.N.S.S.) 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) 1973 की धाराएँ/उप-धाराएँ

क्र०सं०	धारा / उप–धारा	
1	2 (च)	भारत ।
2	2 (ट)	महानगर क्षेत्र ।
3	2 (थ)	प्लीडर ।
4	2 (न)	विहित ।
5	8	महानगर क्षेत्र ।
6	10	सहायक सेशन न्यायाधिशों का अधीनस्थ होना ।
7	16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ।
8	17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ।
9	18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट ।
10	19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना ।
11	27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता।
12	144 क	आयुध सहित जुलूस या सामुहिक कवायद या सामुहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति ।
13	153	बाटों और मापों का निरीक्षण।
14	355	महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय।
15	357 ख	प्रतिकर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त होगा ।
15	404	महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय के द्वारा विचार किया जाना।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

अध्याय 1
प्रारंभिक

BNSS - धारा - 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। (Cr.P.C. – 1)

BNSS - धारा - 2. परिभाषाएं। **2(1-a), 2(1-b), 2(1-d), 2(1-e), 2(1-i) – New Added**

BNSS	Cr.P.C	BNSS	Cr.P.C	BNSS	Cr.P.C	BNSS	Cr.P.C	BNSS	Cr.P.C
2(1)(a)	-------	2(1)(g)	2(c)	2(1)(m)	2(i)	2(1)(s)	2(p)	2(1)(y)	2(wa)
2(1)(b)	-------	2(1)(h)	2(d)	2(1)(n)	2(j)	2(1)(t)	2(r)	2(1)(z)	2(x)
2(1)(c),	2(a)	2(1)(i)	-------	2(1)(o)	2(l)	2(1)(u)	2(s)		
2(1)(d)	-------	2(1)(j)	2(e)	2(1)(p)	2(m)	2(1)(v)	2(u)		
2(1)(e)	-------	2(1)(k)	2(g)	2(1)(q)	2(n)	2(1)(w)	2(v)		
2(1)(f)	2(b)	2(1)(l)	2(h)	2(1)(r)	2(o)	2(1)(x)	2(w)		

BNSS - धारा - 3. निर्देशों का अर्थ लगाना । (Cr.P.C. –3)

BNSS - धारा - 4. भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण । (Cr.P.C. –4)

BNSS - धारा - 5. व्यावृत्ति (Saving) । (Cr.P.C. –5)

अध्याय 2
दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन
Consititution of criminal courts and offices

BNSS - धारा - 6. दंड न्यायालयों के वर्ग (Classes of criminal Courts) । (Cr.P.C. –6)

BNSS - धारा - 7. प्रादेशिक खंड (Territorial divisions) । (Cr.P.C. – 7)

BNSS - धारा - 8. सेशन न्यायालय (Court of session) । (Cr.P.C. – 9)

BNSS - धारा - 9. न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय (Court of Judicial Magistrates) । (Cr.P.C. – 11)

BNSS - धारा - 10. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। (Cr.P.C. –12)
(Chief Judicial Magistrate and Addl. Chief Judicial Magistrate etc.)

BNSS - धारा - 11. विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (Special Judicial Magistrate) । (Cr.P.C. –13)

BNSS - धारा - 12. न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। (Cr.P.C. –14)
(Local Jurisdiction of Judicial Magistrates)

BNSS - धारा - 13. न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Cr.P.C. – 15)
(Subordination of Judicial Magistrates)

BNSS - धारा - 14. कार्यपालक मजिस्ट्रैअ (Excecutive Magistrates) । (Cr.P.C. –20)

BNSS - धारा - 15. विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Special Excecutive Magistrates) । (Cr.P.C. –21)

BNSS - धारा - 16. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। (Cr.P.C. – 22)
(Local Jurisdiction of Excecutive Magistrates)

BNSS - धारा - 17. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। (Cr.P.C. -23)
(Subordination of Excecutive Magistrates)
BNSS - धारा - 18. लोक अभियोजक (Public Prosecutors)। (Cr.P.C. -24)
BNSS - धारा - 19. सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutors)। (Cr.P.C. -25)
BNSS - धारा - 20. अभियोजन निदेशालय (Directorate of Prosecution)। (Cr.P.C. -25 A)

अध्याय 3
न्यायालयों की शक्ति
Power of Courts

BNSS - धारा - 21. न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं। (Cr.P.C. -26)
BNSS - धारा - 22. दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंग। (Cr.P.C. -28)
BNSS - धारा - 23. दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। (Cr.P.C. -29)
BNSS - धारा - 24. जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। (Cr.P.C. - 30)
BNSS - धारा - 25. एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। (Cr.P.C. -31)
BNSS - धारा - 26. शक्तियां प्रदान करने का ढंग। (Cr.P.C. - 32)
BNSS - धारा - 27. नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां । (Cr.P.C. -33)
BNSS - धारा - 28. शक्तियों को वापस लेना। (Cr.P.C. - 34)
BNSS - धारा - 29. न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद–उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना। (Cr.P.C. -35)

अध्याय 4
वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता
Power of superior officers of police and aid to the magistrates and the police

BNSS - धारा - 30. वरिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। (Cr.P.C. - 36)
BNSS - धारा - 31. जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। (Cr.P.C. -37)
BNSS - धारा - 32. पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है। (Cr.P.C. - 38)
BNSS - धारा - 33. कुछ अपराधों की सूचना का जनता द्वारा दिया जाना। (Cr.P.C. -39)
BNSS - धारा - 34. ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। (Cr.P.C. -40)

अध्याय 5
व्यक्तियों की गिरफ्तारी
Arrest of persons

BNSS - धारा - 35. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। (Cr.P.C. -41, 41 A)

35(7) - New Added

BNSS - धारा - 36. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य।(Cr.P.C. -41 B)

BNSS - धारा - 37. पदाभिहित पुलिस अधिकारी। (Cr.P.C. - 41 C)

BNSS - धारा - 38. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। (Cr.P.C. -41 D)

BNSS - धारा - 39. नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी। (Cr.P.C. -42)

BNSS - धारा - 40. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 43)

BNSS - धारा - 41. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी । (Cr.P.C. - 44)

BNSS - धारा - 42. सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। (Cr.P.C. -45)

BNSS - धारा - 43. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। (Cr.P.C. - 46)

BNSS - धारा - 44. उस स्थान की तालाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। (Cr.P.C. - 47)

BNSS - धारा - 45. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। (Cr.P.C. - 48)

BNSS - धारा - 46. अनावश्यक अवरोध न करना। (Cr.P.C. - 49)

BNSS - धारा - 47. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। (Cr.P.C. - 50)

BNSS - धारा - 48. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता। (Cr.P.C. -50 A)

BNSS - धारा - 49. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। (Cr.P.C. - 51)

BNSS - धारा - 50. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 52)

BNSS - धारा - 51. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। (Cr.P.C. -53)

BNSS - धारा - 52. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। (Cr.P.C. -53 A)

BNSS - धारा - 53. गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। (Cr.P.C. - 54)

BNSS - धारा - 54. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। (Cr.P.C. - 54 A)

BNSS - धारा - 55. जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। (Cr.P.C. -55)

BNSS - धारा - 56. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। (Cr.P.C. -55 A)

BNSS - धारा - 57. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले लाया जाना। (Cr.P.C. -56)

BNSS - धारा - 58. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। (Cr.P.C. -57)

BNSS - धारा - 59. पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। (Cr.P.C. – 58)

BNSS - धारा - 60. पकड़े गए व्यक्ति का उन्मीचन (Discharge)। (Cr.P.C. – 59)

BNSS - धारा - 61. निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। (Cr.P.C. –60)

BNSS - धारा - 62. गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना। (Cr.P.C. – 60 A)

अध्याय 6
हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं
Processes to compel appearance
क. – समन (Summons)

BNSS - धारा - 63. समन का प्ररूप। (Cr.P.C. – 61)

BNSS - धारा - 64. समन की तामील कैसे की जाए। (Cr.P.C. – 62)

BNSS - धारा - 65. निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील। (Cr.P.C. –63)

BNSS - धारा - 66. जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सके तब तामील। (Cr.P.C. – 64)

BNSS - धारा - 67. जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया। (Cr.P.C. –65)

BNSS - धारा - 68. सरकारी सेवक पर तामील। (Cr.P.C. –66)

BNSS - धारा - 69. स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील। (Cr.P.C. – 67)

BNSS - धारा - 70. ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। (Cr.P.C. – 68)

BNSS - धारा - 71. साक्षी पर समन की तारीख। (Cr.P.C. –69)

ख. – गिरफ्तारी का वारंट (Warrant of Arrest)

BNSS - धारा - 72. गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि। (Cr.P.C. –70)

BNSS - धारा - 73. प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. –71)

BNSS - धारा - 74. वारंट किसको निदिष्ट होंगे। (Cr.P.C. –72)

BNSS - धारा - 75. वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे। (Cr.P.C. –73)

BNSS - धारा - 76. पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। (Cr.P.C. – 74)

BNSS - धारा - 77. वारंट के साथ की सूचना। (Cr.P.C. – 75)

BNSS - धारा - 78. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना।(Cr.P.C. –76)

BNSS - धारा - 79. वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है। (Cr.P.C. – 77)

BNSS - धारा - 80. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। (Cr.P.C. – 78)

BNSS - धारा - 81. अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट। (Cr.P.C. –79)

BNSS - धारा - 82. जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया। (Cr.P.C. – 80)

BNSS - धारा - 83. उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए। (Cr.P.C. –81)

ग. – उद्घोषणा और कुर्की (Proclamation and Attacment)

BNSS - धारा - 84. फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। (Cr.P.C. – 82)

BNSS - धारा - 85. फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। (Cr.P.C. – 83)

BNSS - धारा - 86. उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की। **New Section**

BNSS - धारा - 87. कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। (Cr.P.C. –84)

BNSS - धारा - 88. कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। (Cr.P.C. –85)

BNSS - धारा - 89. कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। (Cr.P.C. –86)

घ. – आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम (Other Rules Regarding Processes)

BNSS - धारा - 90. समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। (Cr.P.C. –87)

BNSS - धारा - 91. हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र लेने की शक्ति। (Cr.P.C. –88)

BNSS - धारा - 92. हाजिरी का बंधपत्र या जमानतपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। (Cr.P.C. – 89)

BNSS - धारा - 93. इस अध्याय के उपबंधो का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना। (Cr.P.C. – 90)

अध्याय 7
चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं (Processes to Compel the Production of Things)

क. – पेश करने के लिए समन (Summons to Produce)

BNSS - धारा - 94. दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन। (Cr.P.C. –91)

BNSS - धारा - 95. पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। (Cr.P.C. – 92)

ख. – तलाशी वारंट (Search Warrants)

BNSS - धारा - 96. तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। (Cr.P.C. – 93)

BNSS - धारा - 97. उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। (Cr.P.C. – 94)

BNSS - धारा - 98. कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। (Cr.P.C. – 95)

BNSS - धारा - 99. समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। (Cr.P.C. –96)

BNSS - धारा - 100. सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। (Cr.P.C. – 97)

BNSS - धारा - 101. अपहृत महिलाओं को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। (Cr.P.C. –98)

ग- तलाशी संबंधी साधारण उपबंध
General Provisions Relating to Searches

BNSS - धारा - 102. तलाशी वारंटों का निदेशन आदि। (Cr.P.C. -99)

BNSS - धारा - 103. बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। (Cr.P.C. -100)

BNSS - धारा - 104. अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन। (Cr.P.C. - 101)

घ- प्रकीर्ण (Miscellaneous)

BNSS - धारा - 105. श्रव्य–दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। **New Section**

BNSS - धारा - 106. कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। (Cr.P.C. -102)

BNSS - धारा - 107. संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी। **New Section**

BNSS - धारा - 108. मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है। (Cr.P.C. -103)

BNSS - धारा - 109. पेश की गई दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 104)

BNSS - धारा - 110. आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था (Reciprocal Arrangements)। (Cr.P.C. - 105)

अध्याय 8
कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया
Reciprocal Arrangements for Assistance in certain Matters and Procudure for Attachment and forfeiture of Property

BNSS - धारा - 111. परिभाषाएं ।

BNSS	Cr.P.C.	BNSS	Cr.P.C.
111(a)	105A(a)	111(d)	105A(d)
111(b)	105A(b)	111(e)	105A(e)
111(c)	105A(c)		

BNSS - धारा - 112. भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोधपत्र। (Cr.P.C. -166 A)

BNSS - धारा - 113. भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोधपत्र। (Cr.P.C. - 166 B)

BNSS - धारा - 114. व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। (Cr.P.C. - 105 B)

BNSS - धारा - 115. संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता। (Cr.P.C. - 105 C)

BNSS - धारा - 116. विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना। (Cr.P.C. -105 D)

BNSS - धारा - 117. सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की। (Cr.P.C. - 105 E)

BNSS - धारा - 118. इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध। (Cr.P.C. – 105 F)
BNSS - धारा - 119. संपत्ति के समपहरण की सूचना। (Cr.P.C. – 105 G)
BNSS - धारा - 120. कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण । (Cr.P.C. – 105 H)
BNSS - धारा - 121. समपहरण के बदले जुर्माना । (Cr.P.C. –105 -I)
BNSS - धारा - 122. कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना । (Cr.P.C. –105 J)
BNSS - धारा - 123 अनुरोधपत्र की बाबत प्रक्रिया। (Cr.P.C. –105 K)
BNSS - धारा - 124. इस अध्याय का लागू होना। (Cr.P.C. – 105 L)

अध्याय 9
परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति
Security for Keeping the Peace and for Good Behaviour

BNSS - धारा - 125. दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। (Cr.P.C. –106)
BNSS - धारा - 126. अन्य दशाओं में परिशांति कायम रहने के लिए प्रतिभूति। (Cr.P.C. – 107)
BNSS - धारा - 127. कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। (Cr.P.C. –108)
BNSS - धारा - 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। (Cr.P.C. –109)
BNSS - धारा - 129. आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। (Cr.P.C. – 110)
BNSS - धारा - 130. आदेश का दिया जाना। (Cr.P.C. – 111)
BNSS - धारा - 131. न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। (Cr.P.C. –112)
BNSS - धारा - 132. ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। (Cr.P.C. – 113)
BNSS - धारा - 133. समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी। (Cr.P.C. – 114)
BNSS - धारा - 134. वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति। (Cr.P.C. – 115)
BNSS - धारा - 135. इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच। (Cr.P.C. – 116)
BNSS - धारा - 136. प्रतिभूति देने का आदेश। (Cr.P.C. – 117)
BNSS - धारा - 137. उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है। (Cr.P.C. – 118)
BNSS - धारा - 138. जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। (Cr.P.C. –119)
BNSS - धारा - 139. बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं। (Cr.P.C. – 120)
BNSS - धारा - 140. प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति। (Cr.P.C. –121)
BNSS - धारा - 141. प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास। (Cr.P.C. –122)
BNSS - धारा - 142. प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति। (Cr.P.C. – 123)
BNSS - धारा - 143. बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति। (Cr.P.C. – 124)

अध्याय 10
पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश
Order for Maintenance of Wives, Children and Parents

BNSS - धारा - 144. पत्नी, संतान और माता–पिता के भरणपोषण के लिए आदेश। (Cr.P.C. - 125)
BNSS - धारा - 145. प्रक्रिया। (Cr.P.C. -126)
BNSS - धारा - 146. भत्ते में परिवर्तन। (Cr.P.C. -127)
BNSS - धारा - 147. भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन। (Cr.P.C. - 128)

अध्याय 11
लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना
Maintenance of Public Order and Tranquillity
क. - विधिविरुद्ध जमाव (Unlawful Assemblies)

BNSS - धारा - 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर–बितर करना। (Cr.P.C. - 129)
BNSS - धारा - 149. जमाव को तितर–बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। (Cr.P.C. - 130)
BNSS - धारा - 150. जमाव को तितर–बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। (Cr.P.C. - 131)
BNSS - धारा - 151. धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण। (Cr.P.C. - 132)

ख. - लोक न्यूसेन्स (Public Nuisances)

BNSS - धारा - 152. न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश । (Cr.P.C. -133)
BNSS - धारा - 153. आदेश की तामील या अधिसूचना। (Cr.P.C. -134)
BNSS - धारा - 154. जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करे या कारण दर्शित कर। (Cr.P.C. - 135)
BNSS - धारा - 155. धारा 154 के अधीन अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति। (Cr.P.C. -136)
BNSS - धारा - 156. जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. -137)
BNSS - धारा - 157. व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 138)
BNSS - धारा - 158. स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। (Cr.P.C. - 139)
BNSS - धारा - 159. मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति। (Cr.P.C. - 140)
BNSS - धारा - 160. आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। (Cr.P.C. - 141)
BNSS - धारा - 161. जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। (Cr.P.C. - 142)

BNSS - धारा - 162. मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। (Cr.P.C. -143)

ग. - न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले
Argent Cases of Nuisances or Apprehended Danger

BNSS - धारा - 163. न्यूसेंस का आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति। (Cr.P.C. -144)

घ. - स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद
Disputes as to Immovable Property

BNSS - धारा - 164. जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 145)

BNSS - धारा - 165. विवाद की विषयवस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति । (Cr.P.C. -146)

BNSS - धारा - 166. भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद। (Cr.P.C. -147)

BNSS - धारा - 167. स्थानीय जांच (Local Inquiry)। (Cr.P.C. -148)

अध्याय 12
पुलिस का निवारक कार्य (Preventive Action of the Police)

BNSS - धारा - 168. पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। (Cr.P.C. -149)

BNSS - धारा - 169. संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला। (Cr.P.C. - 150)

BNSS - धारा - 170. संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। (Cr.P.C. -151)

BNSS - धारा - 171. लोक संपत्ति की हानि का निवारण । (Cr.P.C. - 152)

BNSS - धारा - 172. व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना। **New Section**

अध्याय 13
पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां
Information to the Police and their Powers to Investigate

BNSS - धारा - 173. संज्ञेय मामलों में इत्तिला। (Cr.P.C. -154)

BNSS - धारा - 174. असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण। (Cr.P.C. - 155)

BNSS - धारा - 175. संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। (Cr.P.C. -156)

BNSS - धारा - 176. अन्वेषण के लिए प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 157)

BNSS - धारा - 177. रिपोर्टें कैसे दी जाएंगी। (Cr.P.C. - 158)

BNSS - धारा - 178. अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 159)

BNSS - धारा - 179. साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।(Cr.P.C. -160)

BNSS - धारा - 180. पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा। (Cr.P.C. -151)

BNSS - धारा - 181. पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। (Cr.P.C. – 162)

BNSS - धारा - 182. कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना। (Cr.P.C. –163)

BNSS - धारा - 183. संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। (Cr.P.C. – 164)

BNSS - धारा - 184. बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। (Cr.P.C. –164 A)

BNSS - धारा - 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। (Cr.P.C. – 165)

BNSS - धारा - 186. पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की **अपेक्षा** कर सकता है। (Cr.P.C. – 166)

BNSS - धारा - **187.** जब चौबीस घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रकिया।(Cr.P.C. –167)

BNSS - धारा - 188. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट। (Cr.P.C. – 168)

BNSS - धारा - 189. जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना। (Cr.P.C. –169)

BNSS - धारा - 190. जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। (Cr.P.C. – 170)

BNSS - धारा - 191. परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। (Cr.P.C. – 171)

BNSS - धारा - 192. अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। (Cr.P.C. – 172)

BNSS - धारा - 193. अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। (Cr.P.C. – 173)

BNSS - धारा - 194. आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। (Cr.P.C. –174)

BNSS - धारा - 195. व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। (Cr.P.C. – 175)

BNSS - धारा - 196. मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। (Cr.P.C. – 176)

अध्याय 14

जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

Jurisdiction of the Criminal Courts in the Inquiries and Trials

BNSS - धारा - 197. जांच और विचारण का मामूली स्थान। (Cr.P.C. –177)

BNSS - धारा - 198 जांच या विचारण का स्थान। (Cr.P.C. –178)

BNSS - धारा - 199. अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। (Cr.P.C. –179)

BNSS - धारा - 200. जहां कार्य अन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। (Cr.P.C. –180)

BNSS - धारा - 201. कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान । (Cr.P.C. – 181)

BNSS - धारा - 202. इलैक्ट्रानिक संसूचना के साधनों, पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध।(Cr.P.C. –182)

BNSS - धारा - 203. यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध। (Cr.P.C. – 183)

BNSS - धारा - 204. एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान। (Cr.P.C. –184)

BNSS - धारा - 205. विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. – 185)

BNSS - धारा - 206. संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा। (Cr.P.C. -186)

BNSS - धारा - 207. स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति । (Cr.P.C. -187)

BNSS - धारा - 208. भारत से बाहर किया गया अपराध। (Cr.P.C. -188)

BNSS - धारा - 209. भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। (Cr.P.C. - 189)

अध्याय 15
कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें
Conditions Requiste for Initiation for Proceedings

BNSS - धारा - 210. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। (Cr.P.C. -190)

BNSS - धारा - 211. अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण। (Cr.P.C. - 191)

BNSS - धारा - 212. मामले मजिस्ट्रेट के हवाले करना। (Cr.P.C. - 192)

BNSS - धारा - 213. अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान। (Cr.P.C. -193)

BNSS - धारा - 214. अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। (Cr.P.C. -194)

BNSS - धारा - 215. लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से सम्बन्धित अपराधों के लिए, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन। (Cr.P.C. - 195)

BNSS - धारा - 216. धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया। (Cr.P.C. -195 A)

BNSS - धारा - 217. राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। (Cr.P.C. - 196)

BNSS - धारा - 218. न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। (Cr.P.C. -197)

BNSS - धारा - 219. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। (Cr.P.C. -198)

BNSS - धारा - 220. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन। (Cr.P.C. -198 A)

BNSS - धारा - 221. अपराध का संज्ञान। (Cr.P.C. -198 B)

BNSS - धारा - 222. मानहानि के लिए अभियोजन। (Cr.P.C. -199)

अध्याय 16
मजिस्ट्रेटों से परिवादी (Complaints to Magistrates)

BNSS - धारा - 223. परिवादी की परीक्षा। (Cr.P.C. - 200)

BNSS - धारा - 224. ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है। (Cr.P.C. - 201)

BNSS - धारा - 225. आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना। (Cr.P.C. -202)

BNSS - धारा - 226. परिवाद का खारिज किया जाना। (Cr.P.C. -203)

अध्याय 17
मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना
Commencements of Proceedings before Magistrate

BNSS - धारा - 227. आदेशिका का जारी किया जाना। (Cr.P.C. - 204)

BNSS - धारा - 228. मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। (Cr.P.C. - 205)

BNSS - धारा - 229. छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। (Cr.P.C. - 206)

BNSS - धारा - 230. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना। (Cr.P.C. -207)

BNSS - धारा - 231. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना। (Cr.P.C. - 208)

BNSS - धारा - 232. जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना। (Cr.P.C. - 209)

BNSS - धारा - 233. परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण । (Cr.P.C. -210)

अध्याय 18
आरोप (The Charges)
क. - आरोपों का प्ररूप (Forms of Charges)

BNSS - धारा - 234. आरोप की अन्तर्वस्तु। (Cr.P.C. - 211)

BNSS - धारा - 235. समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां । (Cr.P.C. -212)

BNSS - धारा - 236. कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। (Cr.P.C. - 213)

BNSS - धारा - 237. आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है। (Cr.P.C. -214)

BNSS - धारा - 238. गलतियों का प्रभाव। (Cr.P.C. - 215)

BNSS - धारा - 239. न्यायालय आरोप परिवर्तित (Alter Charge) कर सकता है। (Cr.P.C. -216)

BNSS - धारा - 240. जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना। (Cr.P.C. -217)

ख. - आरोपों का संयोजन (Joinder of charges)

BNSS - धारा - 241, सुभिन्न अपराधों (Distinct Offences)के लिए पृथक् आरोप । (Cr.P.C. -218)

BNSS - धारा - 242. एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। (Cr.P.C. - 219)

BNSS - धारा - 243. एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। (Cr.P.C. -220)

BNSS - धारा - 244. जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है। (Cr.P.C. -221)

BNSS - धारा - 245. जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है। (Cr.P.C. -222)

BNSS - धारा - 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा। (Cr.P.C. -223)

BNSS - धारा - 247. कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना। (Cr.P.C. -224)

अध्याय 19
सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण
(Trail before a Court of session)

BNSS - धारा - 248. विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना। (Cr.P.C. –225)
BNSS - धारा - 249. अभियोजन के मामले के कथन का आरम्भ । (Cr.P.C. – 226)
BNSS - धारा - 250. उन्मोचन (Discharge)। (Cr.P.C. – 227)
BNSS - धारा - 251. आरोप विरचित करना (Framing of Charge) । (Cr.P.C. –228)
BNSS - धारा - 252. दोषी होने के अभिवचन। (Cr.P.C. – 229)
BNSS - धारा - 253. अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख। (Cr.P.C. – 230)
BNSS - धारा - 254. अभियोजन के लिए साक्ष्य। (Cr.P.C. –231)
BNSS - धारा - 255. दोषमुक्ति (Acquittal)। (Cr.P.C. –232)
BNSS - धारा - 256. प्रतिरक्षा आरम्भ करना। (Cr.P.C. – 233)
BNSS - धारा - 257. बहस (Arguments)। (Cr.P.C. – 234)
BNSS - धारा - 258. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय। (Cr.P.C. – 235)
BNSS - धारा - 259. पूर्व दोषसिद्धि। (Cr.P.C. – 236)
BNSS - धारा - 260. धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। (Cr.P.C. –237)

अध्याय 20
मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट मामलों का विचारण
Trail of warrant-Cases by Magistrates
क. – पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले
Cases Instituted on a Police Report

BNSS - धारा - 261. धारा 230 का अनुपालन। (Cr.P.C. – 238)
BNSS - धारा - 262. जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा। (Cr.P.C. – 239)
BNSS - धारा - 263 आरोप विरचित करना। (Cr.P.C. –240)
BNSS - धारा - 264. दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि। (Cr.P.C. –241)
BNSS - धारा - 265. अभियोजन के लिए साक्ष्य। (Cr.P.C. –242)
BNSS - धारा - 266. प्रतिरक्षा का साक्ष्य। (Cr.P.C. –243)

ख. – पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले
Cases Instituted otherwise than on Police Report

BNSS - धारा - 267. अभियोजन का साक्ष्य। (Cr.P.C. – 244)
BNSS - धारा - 268. अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। (Cr.P.C. –245)
BNSS - धारा - 269. प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता। (Cr.P.C. –246)
BNSS - धारा - 270. प्रतिरक्षा का साक्ष्य। (Cr.P.C. –247)

ग. - विचारण की समाप्ति (Conclusion of Trial)

BNSS - धारा - 271. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि। (Cr.P.C. - 248)

BNSS - धारा - 272. परिवादी की अनुपस्थिति। (Cr.P.C. - 249)

BNSS - धारा - 273. उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर। (Cr.P.C. -250)

अध्याय 21
मजिस्ट्रेट द्वारा समन-मामलों का विचारण
Trial of Summons-Cases by Magistrates

BNSS - धारा - 274. अभियोग का सारांश बताया जाना। (Cr.P.C. - 251)

BNSS - धारा - 275. दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि। (Cr.P.C. - 252)

BNSS - धारा - 276. छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि। (Cr.P.C. - 253)

BNSS - धारा - 277. प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए। (Cr.P.C. -254)

BNSS - धारा - 278. दोषमुक्ति या दोषसिद्धि। (Cr.P.C. - 255)

BNSS - धारा - 279. परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु। (Cr.P.C. -256)

BNSS - धारा - 280. परिवाद को वापस लेना। (Cr.P.C. -257)

BNSS - धारा - 281. कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति। (Cr.P.C. - 258)

BNSS - धारा - 282. समन–मामलों को वारण्ट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति। (Cr.P.C. -259)

अध्याय 22
संक्षिप्त विचारण (Summary Trials)

BNSS - धारा - 283. संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 260)

BNSS - धारा - 284. द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। (Cr.P.C. -261)

BNSS - धारा - 285. संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 262)

BNSS - धारा - 286. संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख। (Cr.P.C. -263)

BNSS - धारा - 287. संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय। (Cr.P.C. -264)

BNSS - धारा - 288. अभिलेख और निर्णय की भाषा। (Cr.P.C. -265)

अध्याय 23
सौदा अभिवाक् (Plea Bargaining)

BNSS - धारा - 289. अध्याय का लागू होना। (Cr.P.C. - 265 A)

BNSS - धारा - 290. सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन। (Cr.P.C. -265 B)

BNSS - धारा - 291. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिये मार्गदर्शी सिद्धांत। (Cr.P.C. - 265 C)

BNSS - धारा - 292. पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना। (Cr.P.C. - 265 D)

BNSS - धारा - 293. मामले का निपटारा। (Cr.P.C. – 265 E)

BNSS - धारा - 294. न्यायालय का निर्णय। (Cr.P.C. – 265 F)

BNSS - धारा - 295. निर्णय का अन्तिम होना। (Cr.P.C. – 265 G)

BNSS - धारा - 296. सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति। (Cr.P.C. –265- H)

BNSS - धारा - 297. अभियुक्त द्वारा भोगी गयी निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। (Cr.P.C. – 265 - I)

BNSS - धारा - 298. व्यावृत्ति। (Cr.P.C. – 265 J)

BNSS - धारा - 299. अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना। (Cr.P.C. –265 K)

BNSS - धारा - 300. अध्याय का लागू न होना। (Cr.P.C. –265 L)

अध्याय 24

कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी

Attendance of Persons confined of details in Prisons

BNSS - धारा - 301. परिभाषाएं।

BNSS	Cr.P.C.
301(a)	266(a)
301(b)	266(b)

BNSS - धारा - 302. बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। (Cr.P.C. – 267)

BNSS - धारा - 303. धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की शक्ति। (Cr.P.C. – 268)

BNSS - धारा - 304. कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। (Cr.P.C. –269)

BNSS - धारा - 305. बन्दी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। (Cr.P.C. –270)

BNSS - धारा - 306. कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। (Cr.P.C. – 271)

अध्याय 25

जांचों और विचारणों में साक्ष्य

Evidence InInquiries and Trials

क. – साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग

Mode of Taking and Recording Evidence

BNSS - धारा - 307. न्यायालयों की भाषा। (Cr.P.C. – 272)

BNSS - धारा - 308. साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। (Cr.P.C. – 273)

BNSS - धारा - 309. समन–मामलों और जांचों में अभिलेख। (Cr.P.C. – 274)

BNSS - धारा - 310. वारण्ट मामलों में अभिलेख। (Cr.P.C. –275)

BNSS - धारा - 311. के समक्ष विचारण में अभिलेख। (Cr.P.C. –276)

BNSS - धारा - 312. साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। (Cr.P.C. – 277)
BNSS - धारा - 313. ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके संबंध में प्रक्रिया। (Cr.P.C. –278)
BNSS - धारा - 314. अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना। (Cr.P.C. – 279)
BNSS - धारा - 315. साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां। (Cr.P.C. –280)
BNSS - धारा - 316. अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। (Cr.P.C. – 281)
BNSS - धारा - 317. दुभाषिया ठीक–ठीक भाषान्तर करने के लिए आबद्ध होगा। (Cr.P.C. –282)
BNSS - धारा - 318. उच्च न्यायालय में अभिलेख। (Cr.P.C. – 283)

ख. – साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन
Commissions for the Examination of Witnesses

BNSS - धारा - 319. साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। (Cr.P.C. –284)
BNSS - धारा - 320. कमीशन किसको जारी किया जाएगा। (Cr.P.C. –285)
BNSS - धारा - 321. कमीशनों का निष्पादन। (Cr.P.C. – 286)
BNSS - धारा - 322. पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। (Cr.P.C. – 287)
BNSS - धारा - 323. कमीशन का लौटाया जाना। (Cr.P.C. – 288)
BNSS - धारा - 324. कार्यवाही का स्थगन। (Cr.P.C. –289)
BNSS - धारा - 325. विदेशी कमीशनों का निष्पादन। (Cr.P.C. – 290)
BNSS - धारा - 326. चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। (Cr.P.C. –291)
BNSS - धारा - 327. मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। (Cr.P.C. –291 A)
BNSS - धारा - 328. टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। (Cr.P.C. – 282)
BNSS - धारा - 329. कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्टें । (Cr.P.C. –293)
BNSS - धारा - 330. कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना । (Cr.P.C. – 294)
BNSS - धारा - 331. लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र। (Cr.P.C. – 295)
BNSS - धारा - 332. शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य। (Cr.P.C. – 296)
BNSS - धारा - 333. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा।(Cr.P.C. –297)
BNSS - धारा - 334. पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए। (Cr.P.C. –298)
BNSS - धारा - 335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। (Cr.P.C. – 299)
BNSS - धारा - 336. कतिपय मामलों में लोकसेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य।

New Section

अध्याय 26
जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबन्ध
General Provisions as to Inquiries and Trials

BNSS - धारा - 337. एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। (Cr.P.C. – 300)

BNSS - धारा - 338. लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। (Cr.P.C. -301)

BNSS - धारा - 339. अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। (Cr.P.C. - 302)

BNSS - धारा - 340. जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। (Cr.P.C. - 303)

BNSS - धारा - 341. कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता। (Cr.P.C. -304)

BNSS - धारा - 342. प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है । (Cr.P.C. - 305)

BNSS - धारा - 343. सह–अपराधी को क्षमा–दान । (Cr.P.C. -306)

BNSS - धारा - 344. क्षमा–दान का निदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. - 307)

BNSS - धारा - 345. क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण। (Cr.P.C. -308)

BNSS - धारा - 346. कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 309)

BNSS - धारा - 347. स्थानीय निरीक्षण। (Cr.P.C. - 310)

BNSS - धारा - 348. आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 311)

BNSS - धारा - 349. नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिये किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। (Cr.P.C. - 311 A)

BNSS - धारा - 350 परिवादियों और साक्षियों के व्यय। (Cr.P.C. -312)

BNSS - धारा - 351. अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 313)

BNSS - धारा – 352. मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। (Cr.P.C. - 314)

BNSS - धारा - 353 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। (Cr.P.C. -315)

BNSS - धारा - 354 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना। (Cr.P.C. - 316)

BNSS - धारा - 355. कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबन्ध। (Cr.P.C. - 317)

BNSS - धारा - 356. उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय। **New Section**

BNSS - धारा - 357. प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है। (Cr.P.C. - 318)

BNSS - धारा - 358. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 319)

BNSS - धारा - 359. अपराधों का शमन। (Cr.P.C. - 320)

BNSS - धारा - 360. अभियोजन वापस लेना। (Cr.P.C. - 321)

BNSS - धारा - 361. जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 322)

BNSS - धारा - 362. प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। (Cr.P.C. - 323)

BNSS - धारा - 363. सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण । (Cr.P.C. - 324)

BNSS - धारा - 364. प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता।(Cr.P.C. -325)

BNSS - धारा - 365. भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। (Cr.P.C. -326)

BNSS - धारा - 366. न्यायालयों का खुला होना। (Cr.P.C. - 327)

अध्याय 27
विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध
Provisions as to Accused Persons of Unsound Mind

BNSS - धारा - 367. अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 328)

BNSS - धारा - 368. न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 329)

BNSS - धारा - 369. अन्वेषण या विचारण के लम्बित रहने तक विकृत–चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। (Cr.P.C. -330)

BNSS - धारा - 370. जांच या विचारण को पुनः चालू करना। (Cr.P.C. - 331)

BNSS - धारा - 371. मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 332)

BNSS - धारा - 372. जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ–चित्त रहा है। (Cr.P.C. -333)

BNSS - धारा - 373. चित्त–विकृति के आधार पर दोष–मुक्ति का निर्णय। (Cr.P.C. - 334)

BNSS - धारा - 374. चित्त–विकृति आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। (Cr.P.C. -335)

BNSS - धारा - 375. भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। (Cr.P.C. -336)

BNSS - धारा - 376. जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत–चित्त बन्दी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 337)

BNSS - धारा - 377. जहां निरुद्ध विकृत–चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 338)

BNSS - धारा - 378. नातेदार या मित्र की देख–रेख के लिए मानसिक विकृत चित्त का सौंपा जाना। (Cr.P.C. -339)

अध्याय 28
न्याय- प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध
Provisions as to Offences affecting the Administration of Justice

BNSS - धारा - 379. धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 340)

BNSS - धारा - 380. अपील। (Cr.P.C. - 341)

BNSS - धारा - 381. खर्चे का आदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. - 342)

BNSS - धारा - 382. जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे, वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. -343)

BNSS - धारा - 383. मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। (Cr.P.C. -344)

BNSS - धारा - 384. अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 345)

BNSS - धारा - 385. जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. -346)

BNSS - धारा - 386. रजिस्ट्रार या उप–रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। (Cr.P.C. - 347)

BNSS - धारा - 387. माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन। (Cr.P.C. -348)

BNSS - धारा - 388. उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी। (Cr.P.C. - 349)

BNSS - धारा - 389. समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया । (Cr.P.C. -350)

BNSS - धारा - 390. धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें । (Cr.P.C. -351)

BNSS - धारा - 391. कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना। (Cr.P.C. - 352)

अध्याय 29
निर्णय (The Judgment)

BNSS - धारा - 392. निर्णय। (Cr.P.C. - 353)

BNSS - धारा - 393. निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु। (Cr.P.C. - 354)

BNSS - धारा - 394. पूर्वतन दोषसिद्ध अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश। (Cr.P.C. -356)

BNSS - धारा - 395. प्रतिकर देने का आदेश। (Cr.P.C. -357)

BNSS - धारा - 396. पीड़ित प्रतिकर स्कीम। (Cr.P.C. - 357 A)

BNSS - धारा - 397. पीड़ितों का उपचार । (Cr.P.C. -357 C)

BNSS - धारा - 398. साक्षी संरक्षण स्कीम। **New Section**

BNSS - धारा - 399. निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर । (Cr.P.C. -358)

BNSS - धारा - 400. असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश। (Cr.P.C. -359)

BNSS - धारा - 401. सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश । (Cr.P.C. -360)

BNSS - धारा - 402. कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना। (Cr.P.C. - 361)

BNSS - धारा - 403. न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना। (Cr.P.C. - 362)

BNSS - धारा - 404. अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। (Cr.P.C. -363)

BNSS - धारा - 405. निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा। (Cr.P.C. - 364)

BNSS - धारा - 406. सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। (Cr.P.C. -365)

अध्याय 30
मृत्यु दण्डादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना
Submission of Death Sentences for Confirmation

BNSS - धारा - 407. सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। (Cr.P.C. -366)

BNSS - धारा - 408. अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. - 367)

BNSS - धारा - 409. दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। (Cr.P.C. - 368)

BNSS - धारा - 410. दण्डादेश की पुष्टि या नये दण्डादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। (Cr.P.C. -369)

BNSS - धारा - 411. मतभेद की दशा में प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 370)

BNSS - धारा - 412. उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया। (Cr.P.C. -371)

अध्याय 31
अपीलें (Appeals)

BNSS - धारा - 413. जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना । (Cr.P.C. - 372)

BNSS - धारा - 414. परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। (Cr.P.C. - 373)

BNSS - धारा - 415. दोषसिद्धि से अपील। (Cr.P.C. - 374)

BNSS - धारा - 416. कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना। (Cr.P.C. -375)

BNSS - धारा - 417. छोटे मामलों में अपील न होना। (Cr.P.C. -376)

BNSS - धारा - 418 राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील। (Cr.P.C. -377)

BNSS - धारा - 419. दोषमुक्ति की दशा में अपील। (Cr.P.C. -378)

BNSS - धारा - 420. कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील। (Cr.P.C. -379)

BNSS - धारा - 421. कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार। (Cr.P.C. - 380)

BNSS - धारा - 422. सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी। (Cr.P.C. - 381)

BNSS - धारा - 423. अपील की अर्जी। (Cr.P.C. -382)

BNSS - धारा - 424. जब अपीलार्थी जेल में है, तब प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 383)

BNSS - धारा - 425. अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना। (Cr.P.C. - 384)

BNSS - धारा - 426. संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया। (Cr.P.C. -385)

BNSS - धारा - 427. अपील न्यायालय की शक्तियां। (Cr.P.C. - 386)

BNSS - धारा - 428. अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय। (Cr.P.C. - 387)

BNSS - धारा - 429. अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। (Cr.P.C. -388)

BNSS - धारा - 430. अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना । (Cr.P.C. - 389)

BNSS - धारा - 431. दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी। (Cr.P.C. -390)

BNSS - धारा - 432. अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा। (Cr.P.C. - 391)

BNSS - धारा - 433. जहां अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों, वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. -392)

BNSS - धारा - 434. अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना। (Cr.P.C. - 393)

BNSS - धारा - 435. अपीलों का उपशमन। (Cr.P.C. -394)

अध्याय 32

निर्देश और पुनरीक्षण (Reference and Revision)

BNSS - धारा - 436. उच्च न्यायालय को निर्देश। (Cr.P.C. -395)

BNSS - धारा - 437. उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा। (Cr.P.C. -396)

BNSS - धारा - 438. पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना। (Cr.P.C. - 397)

BNSS - धारा - 439. जांच करने का आदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. - 398)

BNSS - धारा - 440. सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियां । (Cr.P.C. - 399)

BNSS - धारा - 441. अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति। (Cr.P.C. - 400)

BNSS - धारा - 442. उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियां । (Cr.P.C. - 401)

BNSS - धारा - 443, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति। (Cr.P.C. - 402)

BNSS - धारा - 444 पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प। (Cr.P.C. -403)

BNSS - धारा - 445. उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना। (Cr.P.C. -405)

अध्याय 33

आपराधिक मामलों का अन्तरण (Transfer of Criminal Cases)

BNSS - धारा - 446. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। (Cr.P.C. - 406)

BNSS - धारा - 447. मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। (Cr.P.C. - 407)

BNSS - धारा - 448 मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति। (Cr.P.C. - 408)

BNSS - धारा - 449 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना। (Cr.P.C. - 409)

BNSS - धारा - 450. न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। (Cr.P.C. -410)

BNSS - धारा - 451. कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। (Cr.P.C. - 411)

BNSS - धारा - 452. कारणों का अभिलिखित किया जाना। (Cr.P.C. -412)

अध्याय 34
दण्डादेशों का निष्पादन, निलम्बन, परिहार और लघुकरण
Execution, Suspension, Remission and Commutation of Sentences

क. - मृत्यु दण्डादेश (Death Sentences)

BNSS - धारा - 453. धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। (Cr.P.C. - 413)

BNSS - धारा - 454. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन। (Cr.P.C. -414)

BNSS - धारा - 455. उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना। (Cr.P.C. - 415)

BNSS - धारा - 456. गर्भवती महिला को मृत्यु दण्ड का लघुकरण किया जाना। (Cr.P.C. - 416)

ख. - कारावास (Imprisonment)

BNSS - धारा - 457. कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। (Cr.P.C. -417)

BNSS - धारा - 458. कारावास के दण्डादेश का निष्पादन। (Cr.P.C. - 418)

BNSS - धारा - 459. निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन। (Cr.P.C. -419)

BNSS - धारा - 460. वारण्ट किसको सौंपा जाएगा। (Cr.P.C. - 420)

ग.-जुर्माना का उद्ग्रहण (Levy of Fine)

BNSS - धारा - 461. जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारण्ट। (Cr.P.C. -421)

BNSS - धारा - 462. ऐसे वारण्ट का प्रभाव। (Cr.P.C. -422)

BNSS - धारा - 463. जुमाने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट। (Cr.P.C. -423)

BNSS - धारा - 464. कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलम्बन। (Cr.P.C. - 424)

घ. - निष्पादन के बारे में साधारण उपबन्ध
General Provisions Regarding Execution

BNSS - धारा - 465. वारण्ट कौन जारी कर सकेगा। (Cr.P.C. -425)

BNSS - धारा - 466. निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा। (Cr.P.C. -426)

BNSS - धारा - 467. ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है। (Cr.P.C. -427)

BNSS - धारा - 468. अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना। (Cr.P.C. - 428)

BNSS - धारा - 469. व्यावृत्ति । (Cr.P.C. - 429)

BNSS - धारा - 470. दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना। (Cr.P.C. – 430)

BNSS - धारा - 471. जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना। (Cr.P.C. – 431)

ङ - दंडादेश का निलम्बन, परिहार और लघुकरण
Suspension, Remission and Commutation of Sentences

BNSS - धारा - 472. मृत्यु दण्डादेश मामलों में दया याचिका । **New Section**

BNSS - धारा - 473. दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति। (Cr.P.C. – 432)

BNSS - धारा - 474. दण्डादेश लघुकरण करने की शक्ति। (Cr.P.C. –433)

BNSS - धारा - 475. कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन। (Cr.P.C. – 433 A)

BNSS - धारा - 476. मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति। (Cr.P.C. –434)

BNSS - धारा - 477. कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से सहमति के पश्चात् कार्य करना। (Cr.P.C. –435)

अध्याय 35
जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबन्ध
Provisions as to Bail and Bonds

BNSS - धारा - 478. किन मामलों में जमानत ली जाएगी। (Cr.P.C. –436)

BNSS - धारा - 479. अधिकतम अवधि, जिसके लिये विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है। (Cr.P.C. –436 A)

BNSS - धारा - 480. अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी। (Cr.P.C. –437)

BNSS - धारा - 481. अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत। (Cr.P.C. – 437 A)

BNSS - धारा - 482. गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश। (Cr.P.C. – 438)

BNSS - धारा - 483. जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां । (Cr.P.C. – 439)

BNSS - धारा - 484. बंधपत्र की रकम और उसे घटाना। (Cr.P.C. – 440)

BNSS - धारा - 485. अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र। (Cr.P.C. – 441)

BNSS - धारा - 486. प्रतिभुओं द्वारा घोषणा । (Cr.P.C. – 441 A)

BNSS - धारा - 487. अभिरक्षा से उन्मोचन । (Cr.P.C. – 442)

BNSS - धारा - 488. जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति। (Cr.P.C. –443)

BNSS - धारा - 489. प्रतिभुओं का उन्मोचन। (Cr.P.C. –444)

BNSS - धारा - 490. मुचलके के बजाय निक्षेप । (Cr.P.C. – 445)

BNSS - धारा - 491. प्रक्रिया, जब बंधपत्र समपहृत कर लिया जाता है । (Cr.P.C. – 446)

BNSS - धारा - 492. बंधपत्र और जमानतपत्र का रद्दकरण । (Cr.P.C. - 446 A)

BNSS - धारा - 493. प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्य हो जाने या बंधपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया । (Cr.P.C. - 447)

BNSS - धारा - 494. बालक से अपेक्षित बंधपत्र। (Cr.P.C. -448)

BNSS - धारा - 495. धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील। (Cr.P.C. -449)

BNSS - धारा - 496. कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति । (Cr.P.C. -450)

अध्याय 36

सम्पत्ति का व्ययन (Disposal of Property)

BNSS - धारा - 497. कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। (Cr.P.C. - 451)

BNSS - धारा - 498. विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश। (Cr.P.C. - 452)

BNSS - धारा - 499. अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय। (Cr.P.C. -453)

BNSS - धारा - 500. धारा 498 या 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। (Cr.P.C. - 454)

BNSS - धारा - 501. अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना । (Cr.P.C. -455)

BNSS - धारा - 502. स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। (Cr.P.C. -456)

BNSS - धारा - 503. सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। (Cr.P.C. - 457)

BNSS - धारा - 504 जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो, वहां प्रक्रिया। (Cr.P.C. -458)

BNSS - धारा - 505. विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति। (Cr.P.C. - 459)

अध्याय 37

अनियमित कार्यवाहियां (Irregular Proceedings)

BNSS - धारा - 506. वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं। (Cr.P.C. -460)

BNSS - धारा - 507. वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दषित करती हैं । (Cr.P.C. -461)

BNSS - धारा - 508. गलत स्थान में कार्यवाही । (Cr.P.C. -462)

BNSS - धारा - 509 धारा 183 या धारा 316 के उपबन्धों का अननुपालन। (Cr.P.C. -463)

BNSS - धारा - 510. आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव। (Cr.P.C. -464)

BNSS - धारा - 511. निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा। (Cr.P.C. -465)

BNSS - धारा - 512. त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना। (Cr.P.C. - 466)

अध्याय 38
कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा
Limitation for taking Congnizance of certain Offences

BNSS - धारा - 513. परिभाषा। (Cr.P.C. – 467)

BNSS - धारा - 514. परिसीमा– काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन। (Cr.P.C. – 468)

BNSS - धारा - 515. परिसीमा– काल का प्रारम्भ। (Cr.P.C. –469)

BNSS - धारा - 516. कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन। (Cr.P.C. –470)

BNSS - धारा - 517. जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो, उस तारीख का अपवर्जन। (Cr.P.C. –471)

BNSS - धारा - 518. चालू रहने वाला अपराध। (Cr.P.C. –472)

BNSS - धारा - 519. कतिपय मामलों में परिसीमा काल का विस्तारण। (Cr.P.C. –473)

अध्याय 39
प्रकीर्ण (Miscellaneous)

BNSS - धारा - 520. उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण। (Cr.P.C. – 474)

BNSS - धारा - 521. सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना। (Cr.P.C. –475)

BNSS - धारा - 522. प्ररूप (Forms)। (Cr.P.C. – 476)

BNSS - धारा - 523. उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति। (Cr.P.C. –477)

BNSS - धारा - 524 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों की परिवर्तित करने की शक्ति। (Cr.P.C. –478)

BNSS - धारा - 525. वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है। (Cr.P.C. –479)

BNSS - धारा - 526. विधि–व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुछ न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना। (Cr.P.C. – 480)

BNSS - धारा - 527. विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना। (Cr.P.C. – 481)

BNSS - धारा - 528. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। (Cr.P.C. –482)

BNSS - धारा - 529. न्यायालयों पर अधीक्षण का निरन्तर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य। (Cr.P.C. – 483)

BNSS - धारा - 530. इलैक्ट्रॉनिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना। **New Section**

BNSS - धारा - 531. निरसन और व्यावृत्तियां । (Cr.P.C. –484)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

In Guidance of

Shailendra Kumar Sinha (IPS)

Director

Jharkhand Police Academy, Hazaribag

Compiled By

Roshan Guria (ASP), JPA

Ritesh Verma (Librarian), JPA

Anil Kumar (Computer Instructor), JPA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम **(B.S.A.)**, 2023 में

कुछ जोडी गयी महत्त्वपुर्ण धाराएँ/उप-धाराएँ

क्र०सं०	धारा / उप–धारा	
1	2(2)	शब्द और पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किन्तु IT Act 2000 का 21, B.N.S.S. 2023, B.N.S. 2023 में परिभाषित है , का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो उनका उक्त अधिनियम और संहिता में है।
2	61	इलैक्ट्रोनिक या डिजिटल अभिलेख– कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलैक्ट्रोनिक या डिजिटल साक्ष्य कि ग्राहयता से इनकार नही करेगी की यह कोई इलैक्ट्रोनिक या डिजिटल अभिलेख है और ऐसे अभिलेख का, धारा 63 के अधीन रहते हुऐ वही विधिक प्रभाव, विधिमन्यता और प्रवर्तनशीलता होगी, जो किसी कागज के अभिलेख की होती है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम (B.S.A.) 2023 में सम्मिलित नहीं की गयी भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Evd. Act) 1872 की धाराएँ/उप-धाराएँ

क्र०सं०	धारा / उप–धारा	
1	22 (क)	इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों की विषय–वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब प्रासंगिक होती है
2	82	मुद्रा या हस्ताक्षर के सबुत के बिना इग्लैंड में ग्राहय दस्तावेज के बारे में उपधारणा ।
3	88	तार संदेशों के बारे में उपधारणा ।
4	113	राज्य क्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत ।
5	166	जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023

भाग 1
अध्याय 1
प्रारंभिक

BSA - धारा - 1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ। (Evd. Act - 1)

BSA - धारा - 2. परिभाषाएं। **2(2) – New Added** (Evd. Act - 3)

BSA	Evd. Act	BSA	Evd. Act	BSA	Evd. Act
2(1)(a),	3 para 1	2(1)(e)	3 para 6	2(1)(i)	3 para 9
2(1)(b)	4	2(1)(f)	3 para 2	2(1)(j)	3 para 7
2(1)(c)	3 para 8	2(1)(g)	3 para 4	2(1)(k)	3 para 3
2(1)(d)	3 para 5	2(1)(h)	4	2(1)(l)	4

भाग–2
अध्याय–2
तथ्यों की सुसंगति (Relevancy of Facts)

BSA - धारा - 3. विवाद्यक तथ्यों (Facts in issue) और सुसंगत तथ्यों (Relevant Facts) का साक्ष्य दिया जा सकेगा। (Evd. Act - 5)

निकटता से संसक्त तथ्य (Closely Connected Facts)

BSA - धारा - 4. एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। (Evd. Act - 6)

BSA - धारा - 5. वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम है। (Evd. Act - 7)

BSA - धारा - 6. हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण। (Evd. Act -8)

BSA - धारा - 7. विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य। (Evd. Act -9)

BSA - धारा - 8. सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें। (Evd. Act -10)

BSA - धारा - 9. वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं। (Evd. Act -11)

BSA - धारा - 10. रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य नुकसानी के लिए वादों में सुसंगत हैं। (Evd. Act -12)

BSA - धारा - 11. जब कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य। (Evd. Act -13)

BSA - धारा - 12. मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। (Evd. Act -14)

BSA - धारा - 13. कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। (Evd. Act -15)

BSA - धारा - 14. कारबार के अनुक्रम (Course of Business) का अस्तित्व कब सुसंगत है। (Evd. Act - 16)

स्वीकृतियां (Admissions)

BSA - धारा - 15. स्वीकृति की परिभाषा। (Evd. Act - 17)

BSA - धारा - 16. स्वीकृति के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा स्वीकृति। (Evd. Act - 18)

BSA - धारा - 17. उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। (Evd. Act - 19)

BSA - धारा - 18. वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां (Evd. Act -20)

BSA - धारा - 19. स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना। (Evd. Act -21)

BSA - धारा - 20. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं । (Evd. Act -22)

BSA - धारा - 21. सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं। (Evd. Act -23)

BSA - धारा - 22. उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है। (Evd. Act – 24, 28, 29)

BSA - धारा - 23. पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। (Evd. Act – 25, 26, 27)

BSA - धारा - 24. साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना। (Evd. Act -30)

BSA - धारा - 25. स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती हैं । (Evd. Act - 31)

उन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता।
Statement by Persons who cannot be called as Witnesses

BSA - धारा - 26. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि। (Evd. Act - 32)

BSA - धारा - 27. किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्वर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति। (Evd. Act - 33)

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन।
Statement made under Special Circumstances

BSA - धारा - 28. लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं । (Evd. Act -34)

BSA - धारा - 29. कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख या इलैक्ट्रानिकी अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति। (Evd. Act - 35)

BSA - धारा - 30. मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति। (Evd. Act -36)

BSA - धारा - 31. किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति। (Evd. Act -37)

BSA - धारा - 32. विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या डिजिटल प्ररूप भी है। (Evd. Act -38)

किसी कथन में से कितना साबित किया जाए।
How much of a Statement is to be proved

BSA - धारा - 33. कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, इलैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक अथवा पत्रों या कागजपत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए। (Evd. Act - 39)

न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं।
Judgment of Courts when Relevant

BSA - धारा - 34. द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं । (Evd. Act -40)

BSA - धारा - 35. प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। (Evd. Act -41)

BSA - धारा - 36. धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव। (Evd. Act -42)

BSA - धारा - 37. धारा 34, धारा 35 और धारा 36 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं। (Evd. Act - 43)

BSA - धारा - 38. निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी। (Evd. Act - 44)

अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत हैं
Opinions of third persons when Relevant

BSA - धारा - 39. विशेषज्ञों की रायें (Opinions of Experts)। (Evd. Act – 45, 45 A)

BSA - धारा - 40. विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य । (Evd. Act – 46)

BSA - धारा - 41. हस्तलेख और डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। (Evd. Act – 47, 47 A)

BSA - धारा - 42. साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं। (Evd. Act - 48)

BSA - धारा - 43. प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं। (Evd. Act - 49)

BSA - धारा - 44. नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है। (Evd. Act - 50)

BSA - धारा - 45. राय के आधार कब सुसंगत हैं। (Evd. Act -51)

शील कब सुसंगत हैं
Character when Relevant

BSA - धारा - 46. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है। (Evd. Act - 52)

BSA - धारा - 47. दाण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील (Good Character) सुसंगत है। (Evd. Act - 53)

BSA - धारा - 48. कितपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना। (Evd. Act – 53 A)

BSA - धारा - 49. उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील (Bad Character) सुसंगत नहीं है। (Evd. Act - 54)

BSA - धारा - 50. नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील। (Evd. Act - 55)

भाग- 3
सबूत के विषय में
अध्याय-3
तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है
Facts which need not be proved

BSA - धारा - 51. न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। (Evd. Act -56)

BSA - धारा - 52. वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा। (Evd. Act - 57)

BSA - धारा - 53. स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। (Evd. Act - 58)

अध्याय 4
मौखिक साक्ष्य के विषय में (Of Oral Evidence)

BSA - धारा - 54. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। (Evd. Act - 59)

BSA - धारा - 55. मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। (Evd. Act - 60)

अध्याय 5
दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में (Of Documentary Evidence)

BSA - धारा - 56. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत। (Evd. Act - 61)

BSA - धारा - 57. प्राथमिक साक्ष्य (Primary Evidence)। (Evd. Act - 62)

BSA - धारा - 58. द्वितीयक साक्ष्य (Secoundary Evidence)। (Evd. Act -63)

BSA - धारा - 59. दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। (Evd. Act - 64)

BSA - धारा - 60. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। (Evd. Act - 65)

BSA - धारा - 61. इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख। **New Section**

BSA - धारा - 62. इलैक्ट्रानिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। (Evd. Act -65 A)

BSA - धारा - 63. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों की ग्राह्यता। (Evd. Act – 65 B)

BSA - धारा - 64. पेश करने की सूचना के बारे में नियम। (Evd. Act – 66)

BSA - धारा - 65. जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। (Evd. Act – 67)

BSA - धारा - 66. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत। (Evd. Act – 67 A)

BSA - धारा - 67. ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है। (Evd. Act -68)

BSA - धारा - 68. जब किसी भी अनुप्रमाणक (Attesting) साक्षी का पता न चले, तब सबूत। (Evd. Act -69)

BSA - धारा - 69. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति। (Evd. Act -70)

BSA - धारा - 70. जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत। (Evd. Act - 71)

BSA - धारा - 71. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। (Evd. Act - 72)

BSA - धारा - 72. हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं। (Evd. Act - 73)
BSA - धारा - 73. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में सबूत। (Evd. Act -73 A)

लोक दस्तावेज (Public Documents)

BSA - धारा - 74. लोक और प्राइवेट दस्तावेज। (Evd. Act -74, 75)
BSA - धारा - 75. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। (Evd. Act - 76)
BSA - धारा - 76. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत। (Evd. Act -77)
BSA - धारा - 77. अन्य शासकीय दस्तावेजों (Official Documents) का सबूत। (Evd. Act - 78)

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं (Presumption as to Documents)

BSA - धारा - 78. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 79)
BSA - धारा - 79. साक्ष्य, आदि के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act -80)
BSA - धारा - 80. राजपत्रों, समाचारपत्रों, और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 81)
BSA - धारा - 81. इलैक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख में राजपत्र के बारे में उपधारणा। (Evd. Act -81 A)
BSA - धारा - 82. सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 83)
BSA - धारा - 83. विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 84)
BSA - धारा - 84. मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 85)
BSA - धारा - 85. इलैक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act – 85 A)
BSA - धारा - 86. इलैक्ट्रानिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा। (Evd. Act – 85 B)
BSA - धारा - 87. इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act – 85 C)
BSA - धारा - 88. विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 86)
BSA - धारा - 89. पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act -87)
BSA - धारा - 90. इलैक्ट्रॉनिक संदशों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act -88 A)
BSA - धारा - 91. पेश न किए गए दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 89)
BSA - धारा - 92. तीस वर्ष पुराने दस्तावेज के बारे में उपधारणा। (Evd. Act - 90)
BSA - धारा - 93. पांच वर्ष पुराने इलैक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act – 90 A)

अध्याय 6
दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में
Of the exclusion of oral evidence by documentary evidence.

BSA - धारा - 94. दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य। (Evd. Act - 91)

BSA - धारा - 95. मौखिक करार (Oral Agreement) के साक्ष्य का अपवर्जन। (Evd. Act - 92)

BSA - धारा - 96. संदिग्धार्थ दस्तावेज (Ambiguous Document) को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन। (Evd. Act -93)

BSA - धारा - 97. विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन। (Evd. Act - 94)

BSA - धारा - 98. विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज (Unmeaning Document) के बारे में साक्ष्य। (Evd. Act - 95)

BSA - धारा - 99. उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है। (Evd. Act - 96)

BSA - धारा - 100. तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक–ठीक लागू नहीं होती उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य। (Evd. Act - 97)

BSA - धारा - 101. न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य। (Evd. Act - 98)

BSA - धारा - 102. दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार (Varying) करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा। (Evd. Act -99)

BSA - धारा - 103. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति। (Evd. Act -100)

भाग– 4
साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव
अध्याय– 7
सबूत के भार के विषय में (Of the burden of proof)

BSA - धारा - 104 सबूत का भार। (Evd. Act - 101)

BSA - धारा - 105. सबूत का भार किस पर होता है। (Evd. Act -102)

BSA - धारा - 106. विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। (Evd. Act - 103)

BSA - धारा - 107. साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार। (Evd. Act - 104)

BSA - धारा - 108 यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है। (Evd. Act -105)

BSA - धारा - 109. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। (Evd. Act – 106)

BSA - धारा - 110. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात हैं। (Evd. Act - 107)

BSA - धारा - 111. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है। (Evd. Act - 108)

BSA - धारा - 112. भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार। (Evd. Act - 109)

BSA - धारा - 113. स्वामित्व के बारे में सबूत का भार। (Evd. Act - 110)

BSA - धारा - 114. उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है । (Evd. Act -111)

BSA - धारा - 115. कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। (Evd. Act – 111 A)

BSA - धारा - 116. विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजन्म का निश्चायक सबूत है। (Evd. Act -112)

BSA - धारा - 117. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा। (Evd. Act–113 A)

BSA - धारा - 118. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। (Evd. Act – 113 B)

BSA - धारा - 119. न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। (Evd. Act – 114)

BSA - धारा - 120. बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा। (Evd. Act – 114 A)

अध्याय 8
विबन्ध (Estoppel)

BSA - धारा - 121. विबंध। (Evd. Act – 115)

BSA - धारा - 122. अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध। (Evd. Act -116)

BSA - धारा - 123. विनिमय पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध। (Evd. Act -117)

अध्याय 9
साक्षियों के विषय में (Of Witnesses)

BSA - धारा - 124. कौन साक्ष्य दे सकेगा। (Evd. Act – 118)

BSA - धारा - 125. साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। (Evd. Act – 119)

BSA - धारा - 126. कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता। (Evd. Act - 120)

BSA - धारा - 127. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। (Evd. Act – 121)

BSA - धारा - 128. विवाहित स्थिति के दैरान में की गई संसूचनाएं। (Evd. Act – 122)

BSA - धारा - 129. राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य। (Evd. Act – 123)

BSA - धारा - 130. शासकीय संसूचनाएं। (Evd. Act – 124)

BSA - धारा - 131. अपराधों के करने के बारे में जानकारी। (Evd. Act – 125)

BSA - धारा - 132. वृतिक (Professional) संसूचनाएं। (Evd. Act – 126)

BSA - धारा - 133. साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नही हो जाता। (Evd. Act – 127)

BSA - धारा - 134. विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं। (Evd. Act – 128)

BSA - धारा - 135. जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हकविलेखों का पेश किया जाना। (Evd. Act – 129)

BSA - धारा - 136. ऐसे दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकेगा। (Evd. Act – 130)

BSA - धारा - 137. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। (Evd. Act – 131)

BSA - धारा - 138. सहअपराधी (Accomplice)। (Evd. Act – 133)

BSA - धारा - 139. साक्षियों की संख्या। (Evd. Act - 134)

अध्याय 10
साक्षियों की परीक्षा के विषय में
(Of Examination of Witnesses)

BSA - धारा - 140. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। (Evd. Act - 135)

BSA - धारा - 141. न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। (Evd. Act - 136)

BSA - धारा - 142. साक्षियों की परीक्षा। (Evd. Act –137)

BSA - धारा - 143 परीक्षाओं का क्रम। (Evd. Act - 138)

BSA - धारा - 144. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा। (Evd. Act - 139)

BSA - धारा - 145. शील (Character) का साक्ष्य देने वाले साक्षी। (Evd. Act – 140)

BSA - धारा - 146. सूचक प्रश्न (Leading Questions)। (Evd. Act – 141, 142, 143)

BSA - धारा - 147. लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य। (Evd. Act - 144)

BSA - धारा - 148. पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा। (Evd. Act - 145)

BSA - धारा - 149 प्रतिपरीक्षा (Cross Examination) के विधिपूर्ण प्रश्न। (Evd. Act - 146)

BSA - धारा - 150. साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। (Evd. Act -147)

BSA - धारा - 151. न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। (Evd. Act -148)

BSA - धारा - 152. युक्तियुक्त आधारों (Reasonable Grounds) के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा।(Evd. Act - 149)

BSA - धारा - 153. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया। (Evd. Act - 150)

BSA - धारा - 154. अशिष्ट (Indecent) और कलंकात्मक (Scandalous) प्रश्न। (Evd. Act - 151)

BSA - धारा - 155. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न। (Evd. Act - 152)

BSA - धारा - 156. सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। (Evd. Act - 153)

BSA - धारा - 157. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न। (Evd. Act - 154)

BSA - धारा - 158. साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप। (Evd. Act – 155)

BSA - धारा - 159. सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। (Evd. Act – 156)

BSA - धारा - 160. उसी तथ्य के बारे में पश्चात्वर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे। (Evd. Act - 157)

BSA - धारा - 161. साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 26 या धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। (Evd. Act - 158)

BSA - धारा - 162. स्मृति ताजी (Refreshing Memory) करना। (Evd. Act - 159)

BSA - धारा - 163. धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। (Evd. Act -160)

BSA - धारा - 164. स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। (Evd. Act - 161)

BSA - धारा - 165. दस्तावेजों का पेश किया जाना। (Evd. Act - 162)

BSA - धारा - 166. मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना । (Evd. Act - 163)

BSA - धारा - 167. सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। (Evd. Act - 164)

BSA - धारा - 168. प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। (Evd. Act - 165)

अध्याय 11
साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में
Of Improper Admission and Rejection of evidence

BSA - धारा - 169. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। (Evd. Act -167)

अध्याय 12
निरसन और व्यावृति
(Repeal and Savings)

BSA - धारा - 170. निरसन और व्यावृति। (Evd. Act - 2)
(अनुसूची :– प्रमाणपत्र)

::

JPA-02081

Published by :
Jharkhand Police Academy,
Hazaribag- 825301(Jharkhand),
Email ID- director-jpa@jhpolice.gov.in ,
Contact- 06546 - 270084